

5.4.1 - पूर्वच्छात्रसङ्घः (पञ्चीकृतः कार्यं कुर्वन् च) विगतेषु पञ्चसु वर्षेषु आर्थिकयोगदानेन अन्यैः उपायैश्च संस्थायाः उन्नत्यर्थं सार्थकतया प्रयतमानः विद्यते।

1. पूर्वतन छात्रैः सह सम्पर्कः:

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य छात्रसंघः एवं अत्यन्त सक्रियः अस्ति। छात्रचरसंघः नाम प्राचीन छात्राणां, वर्तमानछात्राणां समूहः। प्राचीनछात्रेभ्यः सर्वदा सम्पर्क सम्पायितुं Online Platform इत्यस्य विनियोगः क्रियते। तदर्थं विश्वविद्यालयेन facebook एवं You Tube Accounts निष्कास्य, तद्वारा अस्मबद्धानां अत्यन्तं पुरातन छात्राणां (येषां contact number न लब्धं) तैस्सह सम्बन्धं कल्पयितुं अयं सुगमोवकाशः।

2. पूर्वतन छात्राणां प्रभावः

यहो हि अस्य विश्वविद्यालयस्य अनेके पुरातानाः छात्राः देशस्य विभिन्न विद्यासंस्थासु कुलपतित्वेन, निदेशकत्वेन, स्वकीयां सेवां समर्पयन्तः सन्ति। केचन पूर्वतनछात्रसङ्घस्य नायकाः मठाधिपतये भूत्वा, भारतीयधर्मवैभवं आप्रपञ्चं विस्तारयन्तः सन्ति। केचन राज्यशासने, केन्द्रीयशासने च मन्त्रिणः भूत्वा स्वकीयां प्रजासेवां विद्धति। केचन अनेक विश्वविद्यालयेषु आचार्यपदवीं च अलंकुर्वन्ति।

एते सर्वे विश्वविद्यालयस्य प्रगतिं यथा विज्ञातुं प्रभवन्ति, तथा Platform निर्मातुं प्रयत्नशील अस्ति विश्वविद्यालयः। ते पूर्वतनाः छात्राः स्वकीय योगदानं व्यक्तिशः अपि दातुं प्रभवन्ति।

3. छात्राणां भूमिका

विश्वविद्यालयपरिसरे यदायदा विशिष्टाः कायक्रमाः सञ्चाल्यन्ते, तदातदा स्थनीयाः पूर्वतनछात्राः, एवं समीपस्थाः पूर्वतनछात्राश्च स्वकीया प्रेरणया आगत्य स्वकीया योगदानं यच्छान्ति।

अस्माकं विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे, शिष्टमण्डले छात्राणां तेषामेव प्रतिनिधित्वं वर्तते। ते एव अग्रेसराः भूत्वा स्वागत प्रभृति धन्यवादं पर्यन्तं सर्वमपि कार्यक्रमं निर्वहन्ति। केवलं दीक्षान्त समारोहे एव न, विश्वविद्यालयस्य स्थापन दिनोत्सवे, एवमितरेषु च तेषामेव मुख्यभूमिका भवति।

4. छात्रसंघस्य निर्वाचनम्

एवं छात्रसङ्घस्य सङ्घटनावसरे सर्वथा विश्वविद्यालयः पारदर्शिता मेव दर्शयति। तत्रैको निर्वाचनाधिकारी सर्वा प्रक्रिया निर्वहति। तत्र छात्रपरिषदः कार्यदर्शपदवी, महामन्त्रिपदवी, कोषाध्यक्षपदवी इत्यादिषु निर्वाचनं निर्वाचनाधिकारी महोदयानां आध्यक्ष्ये यथानियमं

प्रतिवत्सरं भवति ।

5. छात्रसंघस्य अभियानानि

अयन्न वर्तमानः छात्रसङ्घः स्वकीय विद्याभ्यासेन सह “स्वच्छभारत” इमे वत् स्वच्छ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरः इत्यभियानस्य अन्तर्गतरूपेण परिसरेषु स्वच्छताकार्यक्रमाणां आयोजनमपि करोति ।

पूर्वविद्यार्थीसङ्घः (पञ्जीकृतः कार्यरत्तश्च) विगतपञ्चवर्षेभ्यः वित्तीययोगदानादिमाध्यमेन संस्थायाः प्रगतेः सार्थकप्रयत्नाः कुर्वन् अस्ति ।

6. कुलपति:

- प्रो राजा राम शुक्लः अस्यैव विश्वविद्यालयस्य छात्रः आसीत् । पश्चात् सः अस्मिन् एव विश्वविद्यालये शिक्षकः अभवत्, तस्यैव विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अपि अभवत् ।
तस्य कार्यकाले परिसरे सुन्दरं अलङ्कृतं पञ्चदेवमन्दिरं वाग्देवीमन्दिरं च नवीनीकरणं कृतम् ।

सम्प्रति महाराष्ट्रस्य नागपुरस्य कालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्तिः प्रो० हरे राम त्रिपाठीः । सोपि अस्यैव विश्वविद्यालयस्य छात्राः

7. शासकः

- केचन छात्राः राज्यसर्वकारे केन्द्रसर्वकारे च मन्त्री भूत्वा जनसेवां कुर्वन्ति ।
- माननीय नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण विधान सभा विधायक उत्तर प्रदेश राज्यसर्वकारे सेवां कुर्वन् अस्ते
 - एरामेव माननीय दयाशङ्करमिश्रः उत्तरप्रदेशसर्वकारे आयुष, खाद्यसुरक्षा, औषधप्रशासनस्य राज्यमन्त्रीरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति । परिसरे

स्थितस्य योगसाधनकेन्द्रस्य मरम्मतं तेन कृतम् अस्ति।

8. आचार्यः

- केचन अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु आचार्यपदेन सम्मानिताः सन्ति । तेषां संख्या च बहु अस्ति। तेषां आर्थिकं शैक्षणिकं च योगदानम् अस्ति । 5.

आचार्यः

9. पद्मभूषण

- अस्य विश्वविद्यालयस्य छात्राः भारतस्य प्रतिष्ठितमपुरस्कारेण पद्मभूषणेन अलङ्कृत्य अस्य विश्वविद्यालयस्य वैभवं वर्धयन्ति।

10. वर्तमान छात्रयोगदानम्

विश्वविद्यालयस्य छात्रैः परिसरे स्थितानां प्रतिमानां शुद्धिः स्वस्य व्यक्तिगतघनात्

कार्यं कृतम् ।

11. काशी विश्वनाथ न्यास परिषद्

अस्यैव विश्वविद्यालयस्य पूर्वविद्यार्थी तथा सम्प्रति
काशीविश्वनाथन्यासपरिषदः अध्यक्षः प्राध्यापकः नागेन्द्रपाण्डेयः
विश्वनाथनमन्दिरस्य अक्षयपत्रयोजनायाः अन्तर्गतं अनेकेषां छात्राणां

मैथ्याहनभोजनस्य व्यवस्थां कृतवान्, तथैव तेषां वस्त्रादिव्यवस्थां च
कृतवान्। काशीविश्वनाथन्यासपरिषद्द्वारा छात्रवृत्तिप्रदानस्य प्रस्तावः अपि
स्वीकृतः अस्ति।

12. मठाधीशः

विहंगम योग के संस्थापक एवं स्वर वेद मंदिर के संस्थापक स्वामी श्री
विज्ञान देव जी महाराज द्वारा विश्वविद्यालय छात्रेभ्यः पुस्तकानां एवं
सहायक सामग्रीणां वितरणं कृतम्

SSVV Alumni >

 Private group · 1 member

5.4.1

Your membership is pending

Your answers have been sent. You'll receive a notification if your request is approved.

[Cancel Request](#)

About

Private

Only members can see who's in the group and what they post.

Visible

Anyone can find this group.

View Group History

Group created on 7 November 2020

Group rules from the admins

1 Be Kind and Courteous

We're all in this together to create a

welcoming environment. Let's treat
everyone with respect. Healthy debates are
natural, but kindness is required.

...

2 No Hate Speech or Bullying

Make sure everyone feels safe. Bullying of
any kind isn't allowed, and degrading
comments about things like race, religion,
culture, sexual orientation, gender or
identity will not be tolerated.

...

3 No Promotions or Spam

Give more than you take to this group.
Self-promotion, spam and irrelevant links
aren't allowed.

...

[See More](#)

Members



Sampurnanand Sanskrit is an admin.

Group activity

 Created about 2 years ago

प्रयोगीतिष्ठ

Key Indicator - 5.4 Alumni Engagement

प्रधानसूचक: 5.4 पूर्वच्छात्राणां सम्बन्धानुवर्तनम्

Metric No. संख्यामान म्	
5.4.1 QIM	<p><i>The Alumni Association/Chapters (registered and functional) contributes significantly to the development of the institution through financial and non financial means during the last five years</i></p> <p>Upload a description of alumni association contributes to the institution in not more than 500 words</p> <p>File Description (Upload)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide link for additional information • Upload any additional information
गुणमिति:	<p>पूर्वच्छात्रसङ्घः (पञ्जीकृतः कार्य कुर्वन् च) विगतपञ्चवर्षे विगतपञ्चवर्षे आर्थिकयोगदानेन अन्यैः उपायैश्च संस्थायाः उन्नत्यर्थ सार्थकतया प्रयत्नानः विद्यते।</p> <p>प्रसङ्गोऽस्मिन् अधिकाधिकं पञ्चशतशब्दैः विवरणम् उपारोपणीयम्</p> <p>पञ्जिकाविवरणम् (उपारोपणीयम्)</p> <ul style="list-style-type: none"> • अतिरिक्तसूचनानां सन्धानम्। • अतिरिक्ता सूचना।

Dr. R. P. Pathak

संकेत

Contribution during the last five years (Amount in Rupees) (04)

1. 00 Lakhs
2. Rs. 75,000/- to 1.00 Lakhs
3. Rs. 50,000/- to Rs. 75,000/-
4. Rs. 25,000/- to Rs. 50,000/-
5. Less than Rs. 25,000/-

Opt one

Name of the alumnus/ alumni association	AADHAR / PAN	Year of graduation	Year of contribution	Quantum of contribution (INR in lakhs)
पृष्ठा पाटहाकर/पृष्ठा उमदासन्न नाम	आधार-संख्या/PAN	पदवीप्राप्तिवर्षम्	विद्यालयवर्षम्	विद्यालय योग्यता (प्रपत्ति)

Dr-Rst. Pathak Sir



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यवृत्त

दिनांक 23-12-2023 को शोग साधना केन्द्र में पुरातन छात्र समिति के पंजीकरण करने पर विचार हो। बैठक सम्पन्न हुई तिसमें अधोलिखित महानुभाव उपस्थिता हुए।

1. श्री मुख्य किशोर मिश्र
2. श्री० हेतुराम कुमार
3. श्री० श्रीकिशोर मिश्र
4. श्री० सदानन्द शुक्ल
5. श्री० इश्वरकिशोर विष्णवी
6. श्री० हर प्रसाद दीक्षित
7. श्री० रामकिशोर विष्णवी
8. श्री० रामपूजन याण्डेय
9. डॉ० उमापति उपाध्याय
10. श्री० सुधाकर मिश्र
11. श्री० आमित कुमार शुक्ल
12. डॉ० ददन उपाध्याय
13. श्री० दिनेश कुमार गाँव
14. डॉ० विजय कुमार शर्मा

बैठक का प्रारम्भ संविदिक मंगलाचरण के द्वारा हुआ। सर्वेषय समिति के अध्यक्ष श्री. मुख्य किशोर मिश्र ने सभा का संचालन करते हुए उपस्थित सभी महानुभावों का मनव्य पाल किया जो निम्न प्रकार से है।

1. श्री० श्रीकिशोर मिश्र :- इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए माननीय कुलपति जी के द्वारा पुरातन छात्र समिति का गठन विश्वविद्यालय से नहीं अस्तु सभा पुरातन छात्रों के लिए भी अव्यन्त गौरवान्वय है। पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारम्भ होनी चाहिए। यजैकरण की कार्यवाही में एजेंडा का समाप्तान होगा। पुरानी पंजीकृत स्नातकों की सूची का सहयोग लेना चाहिए। श्री० सुधाकर मिश्र जी के पास ऐसे में निर्मित सूची को प्राप्त करकर उसमें


मिश्र
23.12.23

*१२०२१६८८८
23.12.23* *प्र०
17/1/2024*

सेवा में

प्रान्तीय कुलपति गठीदार,
संसदीय समिति, पुरातन आवश्यकता

निम्न पुरातन आवश्यकता के प्रतीकारण के समर्थन में।



सहोदरा,

सादर अनुदीप है कि दिनांक 23-12-2023 को शोध संग्रहालय केन्द्र में पुरातन आवश्यकता की क्षेत्रीय समिति से अधिकारियों पुरातन आवश्यकता के प्रतीकारणों के बारे में जिसमें विवरण दिया गया है।

आवश्यकता के प्रतीकारणों के बारे में

अध्यक्ष

शोध संग्रहालय

उपाध्यक्ष

शोध संग्रहालय

प्रभाग अधिकारी

शोध संग्रहालय

वर्षीय

शोध संग्रहालय

वर्षीय/कामनावाला

शोध संग्रहालय

कामनावाला/वाह-कामनावाला

शोध संग्रहालय

प्रबोधन अधिकारी

शोध संग्रहालय

प्रबोधन

शोध संग्रहालय

साधारण सम्भा के सदस्य

1. शोध अध्यक्षकारण नाशकारण विषयी
2. डॉ. शमीश दत्त शास्त्री
3. शोध अध्यक्षकारण प्रदाता उपाध्याय
4. शोध रामनारायण ठिकेन्द्री
5. शोध रामनारायण ठिकेन्द्री
6. शोध रामनारायण उपाध्याय
7. शोध विवेक शंकर शिंख
8. डॉ. अशोक कुमार शास्त्री
9. डॉ. संगमन शर्मा
10. शोध भगवत शर्मा शुक्ल
11. डॉ. नवचंद नारायण दीक्षित

उक्त के आलोक में प्रतीकरण करने हेतु रखीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

भानुदीप

(शोध विवेक शंकर शिंख) 23.12.24
शमनवाला, पुरातन आवश्यकता

रामनारायण

1. दिनांक 23-12-2023 की बैठक का कार्यक्रम।
2. पुरातन आवश्यकता की सूची।

विवेक शंकर शिंख
11.01.24

तथोह समिति की संस्तुति दिनांक २६ मई २००६ एवं तत्काल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक
१२.०९.२००६, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सी.एम.-०८/७०-१-२०१२ दिनांक २१ मार्च, २०१२ के
परिप्रेक्ष्य में

छात्रसंघ - संविधान



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी



छात्रसंघ-संविधान

१. यह अध्यादेश सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ-संविधान-अध्यादेश कहा जायेगा।
२. यह अध्यादेश कार्यपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् प्रवृत्त माना जायेगा।
३. इस संविधान के प्रभावित होने की तिथि से पूर्व का संविधान एवं परम्पराएँ निरस्त समझी जायेंगी।
४. इस अध्यादेश में जब कि सन्दर्भ से अन्यथा उल्लेख न हो, तब तक -
 (क) धारा का तात्पर्य छात्रसंघ-संविधान की धारा से है।
 (ख) खण्ड का तात्पर्य छात्रसंघ-संविधान के खण्ड से है।
 (ग) अनुच्छेद का तात्पर्य छात्रसंघ-संविधान के अनुच्छेद से है।
 (घ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय' से है।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक २०/०९/२०१३ स्वीकृत तथा प्रवृत्त।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी छात्रसंघ-संविधान

१. स्थापना -

'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ' नामक एक छात्रसंघ गठित होगा, जिसे इस संविधान में आगे संघ कहा गया है। छात्रसंघ निर्वाचन वार्षिक होंगे। यदि किन्हीं अपिहार्य कारणों से चुनाव सम्पन्न न कराया जा सके तो मनोनयन के आधार पर छात्रसंघ का गठन होगा। अन्यथा की स्थिति में उस सत्र में छात्रसंघ निर्वाचित माना जायेगा।

छात्रसंघ का कोई भी पद छात्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है।

इस संविधान के लागू होने की तिथि से पूर्व का संविधान एवं परम्पराएँ निरस्त समझी जायेंगी।

२. उद्देश्य -

संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे -

- २.१ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राचीन आदर्शों, नैतिक मूल्यों तथा शास्त्रों की परम्परागत शिक्षा को असृष्ट बनाये रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना तथा संस्कृत-भाषा के प्रशार-प्रसार एवं विकास में सहयोग प्रदान करना।
- २.२ विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में प्रातुर्वृत्त की भावना और प्रजातान्त्रिक जीवनरचना को विकसित करना।
- २.३ चौरिदं व सांस्कृतिक जीवन, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि तथा अध्यात्मिक आदर्शों के अनुरूप चरित्र-निर्माण करना।
- २.४ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्रिया-कलापों में छात्र-भागीदारी की संकल्पना करना।
- २.५ छात्रों को अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उस प्रसंग में ऐसे सुझाव देना, जिससे विश्वविद्यालय की सीमा एवं उससे बाहर भी छात्रों का व्यवहार संयत रह सके।
- २.६ ऐसा वातावरण बनाये रखना कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक क्रिया-कलाप शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सकें।
- २.७ भारतीय एवं विदेशी प्रत्येक छात्रों के साथ उदार एवं सहदद सम्बन्धों की स्थापना।

कर्तव्य -

संघ के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

- ३.१ ऐसी योजनाओं को कार्यान्वयन करना, जिसके द्वारा छात्रों का बौद्धिक विकास हो सके।
- ३.२ ऐसे आयोजनों को सम्पन्न करना, जिससे छात्रों में गार्डीयता तथा सांस्कृतिक भावना पुष्ट हो सके।
- ३.३ ऐसे क्रिया-कलापों का प्रश्रयन, जिससे संघ के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

परन्तु, यह तब, जब संघ या इसके पदाधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे आन्तरिक प्रबन्ध या कार्य-संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

अधिकारी -

संघ के निम्नलिखित अधिकारी होंगे -

- (क) संरक्षक
- (ख) उपसंरक्षक
- (ग) कोषाध्यक्ष

४ (क) संरक्षक

विश्वविद्यालय का कुलपति छात्रसंघ का पदेन संरक्षक होगा।

संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य -

संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे -

- ४(क).१ संघ के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों में संशोधन करना।
- ४(क).२ आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करना।
- ४(क).३ अशान्ति या अनुशासन-भंग की दशा में निहित या अनिहित वाल के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से संघ को स्थगित करना या भंग करना या कोई ऐसा अन्य कार्य करना, जिसके बह अनुशासन या विश्वविद्यालय के हित के लिए आवश्यक ममझे।
- ४(क).४ उपर्युक्त स्थिति में संरक्षक अपनी अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की या सामान्य-सभा की बैठक भी बुला सकता है।
- ४(क).५ संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य निरीक्षण, नियन्त्रण तथा निर्देशन।
- ४(क).६ कार्यकारिणी/सामान्य-सभा के प्रस्तावों को स्वीकृत करना या पुनर्विचार के लिए प्रत्यावर्तित करना अथवा अस्वीकृत करना।
- ४(क).७ संघ के लिए दान लेना, धन-संपद करना और प्राप्त धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध एवं व्यवस्था करना।
- ४(क).८ संघ के निर्वाचित किसी भी पदाधिकारी के अनुचित अथवा अनुशासनहीनता का व्यवहार करने पर उससे स्पष्टीकरण लेना तथा उसके सम्बन्ध में अनित्य निर्णय देना।
- ४(क).९ कोषाध्यक्ष, निर्वाचनाधिकारी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्यों को संरक्षक द्वारा नियुक्त/मनोनीत करना।
- ४(क).१० छात्रसंघ-संविधान के अस्पष्ट लिखित होने अथवा विवादावस्त विषयों पर लिंगदेह समिति के संस्तुतियों को दृष्टि में रखते हुए कुलपति द्वारा अनित्य निर्णय देना।
- ४(क).११ संविधान में निहित तथा आवश्यकतानुसार स्वीकृत अन्य अधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से छात्र-कल्याण-संङ्घायाध्यक्ष अथवा किसी अध्यापक में प्रतिनिहित करना।
- ४(क).१२ पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार कोषाध्यक्ष की संस्तुति पर संरक्षक द्वारा छात्रहितों से सम्बन्धित कार्यों के लिए स्वीकृत सभी यात्राओं में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (A.C. III) का रेल-किराया तथा उसके साथ नियमानुसार अनुमन्य प्रासंगिक व्ययों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया जायेगा। उक्त यात्रा व्यय संघ कोष से देय होगा।

४ (ख) उप-संरक्षक

छात्रकल्याण संङ्घायाध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदेन उपसंरक्षक होंगे। इनके कार्य एवं अधिकार निम्नलिखित होंगे -

- ४(ख).१ वह विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में छात्रों के उत्तरदायित्वों के अपेक्षित निर्वहन में विशेषज्ञ तथा मार्गनिर्देशन का कार्य करेंगे।
- ४(ख).२ वह उन सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो समय-समय पर संरक्षक के द्वारा उनके लिए निर्धारित किये जायेंगे, और अपने कर्तव्यों के आंचित्यपूर्ण निर्वहन में वह एकमात्र संरक्षक के प्रति उत्तरदायी होंगे।
- ४(ख).३ उप-संरक्षक निरीक्षण के लिए छात्रसंघ का कोई अभिलेख प्रस्तुत करा सकता है, यदि आलेखों के परीक्षण से उसे विश्वास होता है कि उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किया गया है, तो वह स्वविवेक से उन्हें अनुशासित करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। उसे अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति/निर्णय देने का अधिकार होगा, जो संघ के पदाधिकारियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर आवश्यक होंगी।

४ (ग) कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे -

४(ग).१ संघ की सम्पत्ति की देखरेख करना और उनकी निधियों तथा विनिधानों का प्रचालन करना।

४(ग).२ संघ की कार्यकारिणी द्वारा तैयार किये गये आय-व्ययक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन्हें अपनी टिप्पणी/संस्तुति के साथ (यदि कोई सामान्य-सभा के समक्ष विचारार्थ रखने के लिए महामन्त्री को भेजना।

४(ग).३ यह देखना कि सम्पत्ति धन उन्हीं उद्देश्यों के लिए व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए आय-व्ययक में स्वीकृत/आवश्यित किया गया है। सभा ही प्राप्तकों को अग्रसरित भी करना।

४(ग).४ संघ की सम्पत्ति, उसकी निधियों तथा तत्सम्बन्धित अभिलेखों का उचित लेखा-जोखा रखना और सुरक्षित अधिकारा के लिए संघ को निर्देशित करना।

४(ग).५ कोषाध्यक्ष के पूर्वांदेश के बिना रु. १००/- या उससे अधिक किसी प्रकार के धन का व्यय संघ के पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थिति में व्यवसीत धनराशि के विषय में यदि कोषाध्यक्ष सोचता है कि किया गया व्यय विश्वविद्यालय के हित के विपरीत है, तो वह उसे अस्वीकृत भी कर सकता है।

५. संघ के पदाधिकारी -

संघ के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) महामन्त्री

(घ) पुस्तकालय-मन्त्री

५(क) अध्यक्ष -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

५(क).१ अध्यक्ष, संघ का कार्यवाहक प्रधान होगा और संघ के उन सभी अधिकारों की अध्यक्षता करेगा (जिसके लिए उसे संविधान से प्रतिकूल निर्देश न हो) तथा सभा में कार्यप्रणाली के प्रश्न पर व्यवस्था देने का अधिकारी होगा।

५(क).२ अध्यक्ष, संघ के दोनों घटकों के प्रति उत्तरदायी होगा।

५(क).३ अध्यक्ष, संघ के दोनों घटकों में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

५(क).४ अध्यक्ष, संघ के समारोह तथा इससे इतर विश्वविद्यालय के विशेष समारोहों या उत्सवों में आमन्त्रण का अधिकारी होगा। तथा विशेष छात्रत्व सूचक पटक (तमाग) लगाने वा अधिकारी होगा।

५(क).५ अध्यक्ष, स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर संघ की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी की बैठक आहूत कर सकता है। वह उक्त दोनों घटकों की अध्यक्षता करेगा।

५(क).६ अध्यक्ष, संघ के दोनों घटकों की बैठक में तथा अन्य किसी सभा में असंसदीय आचरण करने वाले संघ के किसी सदस्य को बैठक एवं सभा को छोड़ने का आदेश दे सकता है। वह अपने विभिन्न सहयोगियों के बीच कार्य का निर्धारण भी करेगा।

५(ख) उपाध्यक्ष -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

उपाध्यक्ष पद की न्यूनतम योग्यता अध्यक्ष की न्यूनतम योग्यता के समान होगी।

अध्यक्ष की अनुपास्ति में उपाध्यक्ष को उसके सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और वह पूर्णतया अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेगा। उपाध्यक्ष सामान्य सभा तथा कार्यकारिणी दोनों घटकों में पदाधिकारी मान्य होगा।

होगे।
निर्वहन

५(ग) महामन्त्री -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

महामन्त्री के अधिकार एवं कर्तव्य

५(ग).१ महामन्त्री, संघ के दोनों घटकों की बैठकों में संघ के क्रिया-कलाप का विवरण प्रस्तुत करेगा, और अध्यक्ष के परामर्श से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

५(ग).२ महामन्त्री, सामान्य-सभा और कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण रखेगा।

५(ग).३ महामन्त्री, अध्यक्ष के परामर्श से दोनों घटकों की पृथक्-पृथक् या संयुक्त बैठक को भी आहूत करेगा, तथा दोनों सदनों के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

ए से

५(ग).४ महामन्त्री के हस्ताक्षर से ही संघ के आधिकारिक वक्तव्य प्रकाशित होंगे।

५(ग).५ संघ के वैलनिक कार्यवाही महामन्त्री के अधीक्षण में रहेंगे। वह कार्यालय की वस्तुओं, सामग्रियों, पंजिकाओं का संरक्षण एवं क्रय-विक्रय आदि की व्यवस्था कार्यकारिणी की स्वीकृति से करेगा। परन्तु अपने उत्तरदायित्व पर रु. ५०/- तक की धनराशि को व्यय करने का अधिकारी होगा, जिसकी स्वीकृति लाद में कोषाध्यक्ष से ग्रात करना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय मन्त्री -

विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होगा।

महामन्त्री की अनुपस्थिति में पुस्तकालय मन्त्री को महामन्त्री के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। पुस्तकालय मन्त्री दोनों सदनों में संघ का पदाधिकारी मान्य होगा।

५(च) सङ्काय प्रतिनिधि -

सङ्काय-प्रतिनिधि सङ्काय में प्रविष्ट छात्रों में से ही होगा।

सङ्काय-प्रतिनिधि सम्बन्धित सङ्काय में प्रविष्ट तथा छात्रसंघ निर्वाचन में मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

५(छ) छात्रावास प्रतिनिधि -

छात्रावास-प्रतिनिधि सम्बन्धित छात्रावास में आवासित छात्रों में से ही होगा।

छात्रावास-प्रतिनिधि सम्बन्धित छात्रावास में नियमानुसार वावटन से आवासित तथा छात्रसंघ निर्वाचन में मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

छात्रावास-प्रतिनिधि का निर्वाचन मुख्य प्रतिपालक द्वारा सम्पन्न करवाया जायेगा।

६. संघ के घटक -

संघ के निम्नलिखित दो घटक होंगे -

- (क) सामान्य-सभा
- (ख) कार्यकारिणी

७. सामान्य-सभा का गठन -

संघ की सामान्य-सभा में अधिकतम ५० प्रतिनिधि होंगे। सामान्य-सभा की सदस्यता के लिए ५ छात्राओं, ५ अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं, ५ मेधावी छात्र व १ खेलकूद से जुड़े छात्र/छात्रा का नामोंकन कुलपति द्वारा किया जायेगा। संघ के पदाधिकारी, सभी सङ्काय प्रतिनिधि तथा छात्रावास-प्रतिनिधि सामान्य-सभा के सदस्य होंगे।

सामान्य-सभा	अधिकतम संख्या (५०)
७.१ कुलपति द्वारा नामित	१६ (धारा ७ के अनुसार)
७.२ प्रत्यक्ष प्रक्रिया से चयनित सदस्य	०४ (छात्रसंघ पदाधिकारी)
७.३ सीमित मतदान प्रक्रिया से चयनित सदस्य	नियमानुसार (सङ्काय-प्रतिनिधि, छात्रावास-प्रतिनिधि)
७.४ कार्यकारिणी	११

८. सामान्य-सभा के अधिकार और कर्तव्य -

सामान्य-सभा के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे-

- ८.१ सामान्य-सभा में संघ के सबोच्च प्राधिकार निहित होंगे।
- ८.२ सामान्य-सभा, संघ की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी।
- ८.३ अध्यक्ष, महामन्त्री के निर्वाचन-परिणामों की घोषणा प्रबंध के पश्चात् १५ दिनों के अन्दर आहूत सामान्य-सभा अपनी प्रथम बैठक में इस संविधान की धारा १०.२ के अनुसार उपाध्यक्ष तथा पुस्तकालय मन्त्री को निर्वाचित करेगी, इसी बैठक में संविधान की धारा १०.२ के अनुसार कार्यकारिणी का गठन भी सामान्य-सभा द्वारा ही किया जायेगा।
- ८.४ कार्यकारिणी द्वाय प्रस्तुत संघ के आय-व्यय को पारित करेगी, पुनर्विचार के लिए प्रत्यावर्तित करेगों अथवा कारण का उल्लेख करते हुए वापस करेगी।
- ८.५ संघ, सामान्य-सभा के नियन्त्रण में कार्य करेगा। संघ के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में संघ को चेतावनी देते हुए अपने अधिकार से संरक्षक को अवगत करायेगी।
- ८.६ सामान्य-सभा अन्य ऐसे कृत्य भी करेगी, जिससे संघ के उद्देश्यों की अभिवृद्धि हो।

९. कार्यकारिणी -

- ९.१ कार्यकारिणी का गठन- संघ की सामान्य-सभा में से अधिकतम ११ सदस्यीय कार्यकारिणी को इस प्रकार से चुना जायेगा कि इसमें छात्राओं, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं एवं मेधावी छात्र/छात्राओं के वर्ग से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए।

९.२ कार्यकारिणी का विवरण -

क्र.सं.	पदाधिकारी/सदस्य	संख्या
१.	अध्यक्ष	१
२.	उपाध्यक्ष	१
३.	महामन्त्री	१
४.	पुस्तकालय मन्त्री	१
५.	छात्रा	१
६.	अनुसूचित जाति वर्ग का छात्र/छात्रा	१
७.	अनुसूचित जनजाति वर्ग का छात्र/छात्रा	१
८.	पेशावारी छात्र/छात्रा	१
९.	खिलाड़ी छात्र/छात्रा	१
१०.	सङ्खाय प्रतिनिधि	१
११.	छात्रावास-प्रतिनिधि	१

विशेष- यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होता है, तो उक्त स्थानों की पूर्ति शोध-प्रतिनिधियों के माध्यम से की जायेगी।

९.३ कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य -

९.३.१ कार्यकारिणी संघ के क्रिया-कलापों के क्रियान्वयन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी। अपने सदस्यों के माध्यम से संघ के उपर्युक्त कार्यों को करेगी।

९.३.२ महामन्त्री द्वारा तैयार किये गये आय-व्यय (बजट) प्रस्तावों की संवाक्षा करेगा और उन्हें कोषाध्यक्ष द्वारा की गयी टीका-टिप्पणी के साथ संघ की सामान्य-सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

९.३.३ कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य संघ के निर्वाचित कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होगा।

९.३.४ कार्यकारिणी में संघ के उद्देशों की पूर्ति हेतु किसी भी विषय पर विचार किया जा सकता है, एवं उसके द्वारा पारित संकल्प महामन्त्री द्वारा सामान्य-सभा को अधिष्ठित किया जा सकेगा।

परन्तु, इस शक्ति के पारित संकल्पों द्वारा दिये गये सुझाव एवं संस्तुतियाँ संघ की सामान्य-सभा पर आवश्यक नहीं होंगी। किन्तु यदि उन्हें सामान्य-सभा अस्वीकार करती है, तो इसके लिए लिखित रूप से कारण का उल्लेख करते हुए कार्यकारिणी को सूचित करना आवश्यक होगा।

१०. पदाधिकारियों का निर्वाचन एवं कार्यकाल

छात्रसंघ निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जायेगा।

१०.१. संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रति वर्ष ऐक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से यथा सम्बव छ: से आठ सप्ताह के मध्य सम्पन्न करा दिये जायेंगे। छात्रसंघ के पदाधिकारियों का कार्यकाल सत्रान्त अथवा अगले निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि में जो भी पहले हो, को समाप्त हो जायेगा।

कोई भी सदस्य पदाधिकारी नहीं रह जायेगा, यदि उसे किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोषी सिद्ध कर दिया जाता है या विश्वविद्यालय उसे अनुशासनिक कार्यवाही में दण्डित कर देता है।

१०.१.१ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, पुस्तकालय मन्त्री -

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, पुस्तकालय मन्त्री का निर्वाचन विश्वविद्यालय में प्रविष्ट तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के सर्वाधिक मतों से एकल असंकेतनीय मत प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष प्रक्रिया से किया जायेगा।

१०.१.२ सङ्खाय-प्रतिनिधि

सङ्खाय प्रतिनिधि का निर्वाचन तत्सम्बन्धित सङ्खाय में प्रविष्ट छात्रों के द्वारा किया जायेगा।

चुनाव-प्रत्याशी होने के लिए पात्रता से सम्बन्धित इस संविधान का अनुच्छेद १२ प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर भी लागू होगा।

विश्वविद्यालय के प्रत्येक सङ्खाय में प्रविष्ट छात्रों की संख्या के आधार पर सङ्खाय-प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा-

(१) १०० से लेकर २०० छात्रों तक - एक सङ्खाय प्रतिनिधि

(२) २०० से अधिक प्रविष्ट छात्रों के लिए प्रति २०० छात्रों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर सङ्खाय प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण किया जायेगा।

परन्तु प्रविष्ट छात्रों की संख्या पर विचार किये बिना प्रत्येक सङ्खाय का कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा।

१०.१.३ छात्रावास-प्रतिनिधि -

प्रत्येक छात्रावास से एक छात्रावास-प्रतिनिधि का निर्वाचन सीमित मतदान प्रणाली द्वारा सम्बन्धित छात्रावास में नियमानुसार आवणिटत तथा मतदान के लिए अधिकृत छात्रों के बहुमत से किया जायेगा।

चुनाव-प्रत्याशी होने के लिए पात्रता से सम्बन्धित इस संविधान का अनुच्छेद १२ प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर भी लागू होगा।

मतदान करने की प्रत्रता -

ऐसे सभी छात्र, जो मतदाता-सूची प्रकाशन की तिथि से १५ दिनों पूर्व तक प्रविष्ट हुए हैं, और जिनका प्रवेश निर्वाचन की तिथि तक लगातार बना रहता है, जो देय शुल्क भी जमा कर चुके हैं, तथा जिनका नाम मतदाता-सूची में हो, वे सभी मतदान करने के पात्र होंगे।

संविधान की धारा १२ एवं १३ लिंगदोह समिति की संस्तुति दिनांक २६ मई २००६ एवं तक्तम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक २२.०१.२००६, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सी.एम.-०८/७०-१-२०१२ दिनांक २१ मार्च, २०१२ तथा सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक २०.०९.२०१३ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर निर्धारित।

२. निर्वाचन-प्रत्याशी की प्रत्रता-

१२.१ प्रत्याशी को विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक, नियमित संस्थागत छात्र होना चाहिए अर्थात् उसे कम से कम एक वर्ष के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में नामांकित होना चाहिए, उसे दूरस्थ शिक्षा का छात्र, डिप्लोमा पाठ्यक्रम का छात्र अथवा व्यक्तिगत छात्र अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का छात्र नहीं होना चाहिए।

१२.२ प्रत्याशी की आयु सीमा :

१२.२.१. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं की जिनका पाठ्यक्रम तीन वर्ष है, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा, छात्र संघ चुनाव नामांकन तिथि को १७ वर्ष व अधिकतम आयु सीमा २२ वर्ष होगी, परन्तु जहाँ प्रवेश हेतु न्यूनतम अहंता स्नातक उपाधि है, उन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के लिए विधित: चुनाव लड़ने की आयु स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के समान अर्थात् छात्रसंघ-निर्वाचन नामांकन तिथि को अधिकतम २५ वर्ष होगी।

१२.२.२. स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं हेतु अधिकतम आयु सीमा विधित: छात्रसंघ-निर्वाचन नामांकन तिथि को २५ वर्ष होगी।

१२.२.३. शोध छात्र/छात्राओं हेतु चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा विधित: छात्रसंघ-निर्वाचन नामांकन तिथि को २८ वर्ष होगी।

१२.३. प्रत्याशी की नियोग्यता :

१२.३.१. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होगे, जो चुनाव लड़ने के वर्ष में पिछले सत्र/सालों का किसी शैक्षणिक बकाये (Academic carrier) के अधीन है, जैसे बैंक पेपर आदि।

१२.३.२. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जिनको कक्षा में उपस्थिति ७५ प्रतिशत से कम होगी अर्थात् प्रत्याशी को विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा संस्थागत छात्र/छात्रा की प्रवेश प्रविष्टि तिथि से विषयवार ७५ प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

१२.३.३. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जिनका किसी आपाधिक घटना में लिप्त होने का पिछला अभिलेख होगा अर्थात् किसी अपराधिक गतिविधि के लिए छात्र/छात्रा का न तो सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया गया हो, और/अथवा न ही विचारण लम्बित हो, और/अथवा अन्य उसे किसी अपराधिक गतिविधि के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध/दण्डित किया गया हो। इसके सन्दर्भ में प्रत्याशी को अधिकृत प्रालृप पर शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। (यहाँ विचारण का अर्थ सक्षम न्यायालय द्वारा छात्र/छात्रा के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र का संज्ञान लिया जाना है।)

१२.३.४. ऐसे छात्र/छात्रा विधित: चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध अनुशासनाधिक कार्यवाही की गयी हो अर्थात् किसी छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के अनुशासन भंग करने के कारण विश्वविद्यालय अधिकारी/प्रॉफेटर द्वारा दण्डित किया गया हो।

अनुशासनाधिक कार्यवाही का अभिप्राय: उन समस्त कार्यवाहियों से हैं जो विश्वविद्यालय परिसर में घटित किसी घटना की शिकायत पर प्राक्टर द्वारा स्थापित की गयी हो।

१२.३.५. चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन हेतु प्रत्याशी को प्रॉफेटर द्वारा निर्गत "अनापति प्रमाण-पत्र" अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कोई स्थिति में नामांकन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सामान्य कार्यवाही :

इस उपबन्ध का अभिप्राय उन कार्यवाहियों से हैं जिसे प्रॉफेटर द्वारा आरोपी छात्र/छात्रा को सुनवाई का अवसर देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही को अनिवार्य किया गया हो। अनुशासनिक कार्यवाही में निम्न प्रकरण आच्छादित होंगे -

(क) यदि कार्यवाही के उपर्यन्त छात्र के निकासन की कार्यवाही/अथवा निलम्बित किया गया हो।

(ख) निकासन की सजा कतिपय शर्तों पर स्थगित रखी गयी हो।

(ग) दोषी पाये जाने वाले छात्र/छात्रा पर चेतावनी, शास्ति अधिरोपण अथवा सम्बन्धित छात्र/छात्रा को कोई भी दण्ड दिया गया हो।

(घ) यदि छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाया गया हो तथा सजा दी गयी हो, जैसे पेपर निरस्तोकरण अथवा सत्र निरस्तोकरण।

उपरोक्त परिस्थितियों में सम्बन्धित छात्र/छात्रा, छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन के लिए अहंता होगा।

१२.४. प्रत्याशी के चुनाव लड़ने के अवसर :

छात्रसंघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री) पद के लिए कोई छात्र/छात्रा केवल एक बार एवं कार्यकारिणी (संकाय/छात्रावास प्रतिनिधि) पद के लिए कोई छात्र/छात्रा अधिकतम दो बार चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त कर सकेगा।

The candidate shall have one opportunity to contest for the post of office bearer, and two opportunities to contest for the post of an executive member¹.

१२.५. प्रत्याशी की आयु सीमा का निर्धारण :

१२.५.१. ऐसे छात्र/छात्रा के चुनाव लड़ने सम्बन्धी आयु सीमा की पात्रता का निर्धारण सम्बन्धित छात्र/छात्रा के हाईस्कूल अथवा तत्समक्ष पर्टेंस के पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा।

१३. चुनाव प्रचार हेतु आचार संहिता :

- १३.१. चुनाव प्रचार कक्षाओं के चलने के समय नहीं किया जायेगा। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षा में घुसकर प्रचार नहीं करेंगे, न ही प्रॉफेसर/कॉलेज में नारे लगाकर कक्षाओं की शान्ति भंग करेंगे। प्रत्याशी एवं उसके समर्थक कक्षा समाप्त होने के बाद उपलब्ध समय पर ही प्रचार करेंगे।
- १३.२. प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण, छात्रावास परिसर एवं उसके बाहर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा।
- १३.३. प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के डेशर्य से गाड़ियों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा।
- १३.४. किसी प्रत्याशी की चुनाव के सम्बन्ध में किसी दल वीं प्रतिवडता अथवा सम्बद्धता सार्वजनिक रूप से न तो प्रचारित/प्रसारित की जायेगी और न ही इसका प्रकटीकरण किया जायेगा।
- १३.५. प्रॉफेसर की अनुमति से ही प्रत्याशी विश्वविद्यालय परिसर में कक्षाओं के बाहर मीटिंग कर सकेंगे, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय के संस्थागत नियमित छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को आमन्त्रित किया जाना वर्जित होगा।
- १३.६. कोई प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक ऐसे नारे नहीं लगायेंगे या प्रचार सामग्री नहीं बांटेंगे जिससे सम्प्रदायवाद, जातिवाद, या क्षेत्रवाद की भावना उभे अथवा किसी प्रत्याशी/उसके समर्थक का चर्चित हनन हो।
- १३.७. किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक को इसकी अनुमति नहीं है कि वह कोई ऐसी गतिविधि करें अथवा उक्साये जिसके कारण प्रत्याशियों/समर्थकों/मतदाताओं/जातियों/समुदायों के मध्य परस्पर विभेद, धृणा अथवा तनाव की भावना उत्पन्न हो।
- १३.८. प्रत्याशियों और उसके समर्थकों द्वारा जाति, धर्म अथवा समुदाय के नाम पर बोट नहीं खोंगे जायेगे।
- १३.९. किसी भी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के उद्देश्य से प्रिण्टेड पोस्टर, पैम्पलेट्स अथवा अन्य प्रिण्टेड सामग्री तथा बैनर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी या उसके समर्थक मात्र हाथ से बनाये गये पोस्टरों का प्रयोग कर सकेंगे।
- १३.१०. प्रत्याशी हाथ से बनाये गये पोस्टरों का प्रयोग परिसर में केवल उन्हीं निश्चित स्थानों पर कर सकेंगे जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिह्नित किये जायेंगे।
- १३.११. कोई प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को न तो क्षतिप्रसंग करेगा और नहीं दीवारों को खराब करेगा अथवा अन्य नुकसान पहुँचायेगा। अन्यथा ऐसी किसी क्षति के लिए समस्त प्रत्याशियों को सामूहिक रूप से अथवा पृथक्-पृथक् दोषी ठहराया जायेगा।
- १३.१२. किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर चुनाव के उद्देश्य से जुलूस निकालना, पब्लिक मीटिंग करना अथवा अन्य किसी रूप में चुनाव प्रचार करना, प्रचार सामग्री वितरित किया जाना वर्जित होगा।
- १३.१३. चुनाव प्रचार के लिए विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं आवासीय परिसर एवं विश्वविद्यालय के बाहर किसी भवन परिसर, सार्वजनिक स्थल, राजकीय भवनों की दीवारों, बसों, ट्रेमों इत्यादि पर लिखना, पेट्ट करना आदि पूर्ण रूप से वर्जित एवं प्रतिबन्धित होगा।
- १३.१४. विश्वविद्यालय अथवा किसी ऐसेसी या व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा लगाये गये होर्डिंग को न तो रोग जायेगा और न उस पर चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में मत प्राप्त करने के लिए आग्रह लिखा जायेगा, न प्रत्याशी का चित्र लगाया जायेगा और न ही उसका अथवा उसके निवेदक/समर्थक इत्यादि का नाम लिखा जायेगा।
- १३.१५. चुनाव प्रचार एवं मतदान के समय किसी हथियार या बाहन का प्रयोग प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों द्वारा नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय परिसर एवं उसके आस-पास हथियार लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
- १३.१६. पुरुष प्रत्याशी अथवा उसके पुरुष समर्थक महिला छात्राओं में प्रचार के लिए नहीं जा सकेंगे। इसी प्रकार महिला प्रत्याशी या उसकी समर्थक महिला पुरुष छात्राओं में प्रचार के लिए नहीं जा सकेंगी।
- १३.१७. प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव में प्रयुक्त धन की अधिकतम सीमा रु० ५०००/- (रुपये पाँच हजार नाव) होगी।
- १३.१८. प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन से दो सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के समझ चुनाव खर्च सम्बन्धी आइटेंड/प्रमाणीकृत लेखा-बोखा प्रस्तुत करना होगा।
- १३.१९. विश्वविद्यालय उक्त लेखा-जेखा को प्रस्तुत करने के दो दिनों के अन्दर समुचित माध्यमों से उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि छात्र निकाय का कोई सदस्य स्वतंत्रतापूर्वक उसका निरीक्षण कर सके।
- १३.२०. प्रत्याशी द्वारा चुनाव सम्बन्धी निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च किये जाने एवं खर्च सम्बन्धी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने वाली दशा में प्रत्याशी का चुनाव स्वतः शून्य हो जायेगा।
- १३.२१. कोई भी प्रत्याशी चुनाव कार्य हेतु किसी भी बाहरी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रांगण एवं शिक्षक आवासीय प्रांगण में नहीं लायेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर प्रत्याशी चुनाव के लिए अनहीं हो जायेगा।
- १३.२२. सभी प्रत्याशियों को निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ-पत्र भरना होगा कि वे उस वर्ष के छात्रसंघ चुनाव हेतु जारी की गयी आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यदि वे आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें चुनाव से अलग किया जा सकता है अथवा उनका चुनाव निरस्त किया जा सकता है।
- १३.२३. प्रत्येक प्रत्याशी को निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ-पत्र जो प्रॉफेसर के समक्ष तैयार किया गया हो, जो चुनाव अधिकारी के लिए निर्देशित हो, नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि उसका किसी अपराध के लिए संश्लेषण न्यायालय द्वारा कपी विचारण नहीं किया गया और /अथवा

उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला विचारण हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध/दण्डन नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है तथा वह किसी राजनैतिक दल का घोषित प्रत्याशी नहीं है और न ही किसी राजनैतिक दल से उसने चुनाव खर्च के लिए कोई सहायता प्राप्त की है।

- १३.२४. मतदान के समय सम्बन्धित प्रत्याशी या उसके केवल एक प्रतिनिधि को गणना स्थल पर उपस्थित होने की अनुमति मिलेगी।
- १३.२५. सभी प्रत्याशियों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने में अथवा उक्साने से विरत रहना होगा जो प्रष्ट आचरण के अन्तर्गत मानी जाती है, और मतदाताओं को रिक्षत देने, उन्हें डारने, धमकाने, फौजी मतदाताओं को जुटाने, मतदान केन्द्र से १०० मीटर के भीतर प्रचार-प्रसार करने और मतदान शुरू होने के ३६ घण्टे पूर्व सार्वजनिक मीटिंग करने से विरत रहना होगा। साथ ही साथ मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को लाने व ले जाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने से विरत रहना होगा।
- १३.२६. मतदान दिवस पर प्रत्याशियों से अपेक्षित है कि शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान हेतु ये निर्वाचन अधिकारी को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराये। मतदान के दिन जल को छोड़कर कोई भी खाद्य पदार्थ ठोस या द्रव्य वितरित न करें।
- १३.२७. मतदाताओं को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त पास अथवा ग्राहिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्रों पर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
- १३.२८. सभी प्रत्याशी मतदान पूर्ण होने के ४८ घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र स्वच्छ कराने के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।
- १३.२९. आचर संहिता में दिये गये उपरोक्त प्राविधानों के उल्लंघन के लिए प्रत्याशी की प्रत्याशिता अथवा उसके द्वारा जीता गया पद जैसी भी स्थिति हो समाप्त कर दिया जायेगा।
- १३.३०. उपरोक्त आचर संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा १५३ ए तथा ९ ए के अन्तर्गत चुनाव सम्बन्धी अपराध से सम्बन्धित उपबन्ध भी लागू होंगे, अर्थात् धर्म, मूल, वंश, जन्मस्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना, और शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करना, धूप देना, चुनाव में अनुचित दबाव बनाना, फौजी मतदान, गलत बयानबाजी, अवैधानिक भुगतान और चुनाव लेखा रखने में असफलता, (धारा १७१ ए, १७१ आई तक)।

१४. निर्वाचनाधिकारी -

संरक्षक के द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक निर्वाचनाधिकारी होगा।

- १४.१. निर्वाचनाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य -
- १४.१.१ निर्वाचन-कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिए वह अपनी सहायता हेतु तदर्थ समितियों को गठित करेगा।
- १४.१.२ निर्वाचनों का संचालन एवं उसकी सूचनाएँ जारी करेगा।
- १४.१.३ निर्वाचनाधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना निर्णय लेगा।
- १४.१.४ निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों का सम्पादन निर्वाचनाधिकारी करेगा।
- १४.१.५ मतपत्रों की वैधता पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन-अधिकारी को होगा।
- १४.१.६ निर्वाचन अधिसूचना निर्णय होने के पश्चात् निर्वाचन के सभी कार्यक्रम को यथा समय सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचनाधिकारी विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी/अधिकारी एवं अध्यापक से अपेक्षित सहयोग ले सकेंगे। निर्वाचन कार्य में विपरीत आचरण करने पर किसी कर्मचारी/अधिकारी/अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति करने का अधिकार निर्वाचन-अधिकारी को होगा।
- १४.१.७ निर्वाचनाधिकारी अपने कर्तव्यों के आंचित्यपूर्ण निर्वहन में केवल संरक्षक के प्रति उत्तरदायी होगा।

१५. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Grievance Cell)

- १५.१. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन होगा, यह संस्था की नियमित इकाई होगी, जिसकी प्रकोष्ठ संरचना निम्न सदस्यों को मिलाकर की जायेगी।
- I. एक वरिष्ठ संकाय सदस्य
 - II. एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
 - III. पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के दो छात्र (जिसमें एक छात्र एवं एक छात्रा) सम्मिलित होंगे। ऐसे छात्रों का मनोनयन होगा जो पूर्व के अध्यापन वर्षों में शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिये हों या सर्वोच्च योग्यता रखते हों।
- १५.२ यह प्रकोष्ठ चुनाव आचर संहिता का उल्लंघन और आय से सम्बन्धित शिकायतों के अलावा चुनाव से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतों को सुन सकेगा।
- १५.३ उक्त प्रकोष्ठ को ऐसे मामलों को सुनने की मूल अधिकारिता प्राप्त होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अंतिम आदेशों के अन्तर्गत अपनी कार्यवाही करेगा।
- १५.४ उक्त प्रकोष्ठ उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों को अभियोजित कर सकेगा।
- १५.५ कुलपति को ऐसे मामलों में अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होगी और वह उक्त प्रकोष्ठ के निर्णयों को समीक्षा कर संशोधन अथवा निरस्त कर सकेगा।
- १५.६ उक्त प्रकोष्ठ के सदस्य संबंध शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। अन्य कोई विद्यार्थी अपने नाम से चुनाव परिणाम की घोषणा के ३ सप्ताह के अन्दर उक्त प्रकोष्ठ के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकेगा व इस प्रकार दर्ज कराये शिकायत के २४ घण्टे के अन्दर उक्त प्रकोष्ठ या तो ऐसी शिकायत को निरस्त करेगा या सुनवाई ग्राम्य करेगा।

- १५.७ उक्त प्रकोष्ठ शिकायतों को निरस्त कर सकेगा यदि -
 (क) ऐसी शिकायत निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं दर्ज करायी जाती है।
 (ख) ऐसी शिकायत जो इस प्रकार का वाद हेतु उत्पन्न नहीं करता जिसके लिए कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है।
 (ग) शिकायतकर्ता को कोई चोट या क्षति नहीं पहुँची हो।
- १५.८ उक्त प्रकोष्ठ द्वारा शिकायत निस्तारित/निरसित न होने की स्थिति में, उस पर मुनबाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी और इसकी मूल्यना यन्त्र पक्षों को लिखित रूप से समय और स्थान सहित भेजी जायेगी।
१६. निर्वाचन पर्यवेक्षक
 छात्रसंघ निर्वाचनाधिकारी द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। यदि प्रत्याशियों को आचरण संहिता/निर्वाचन प्रक्रिया में किन्हीं विनियोग कोई शिकायत होती है तो उसे पर्यवेक्षक के संज्ञान में ला सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को देखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी किसी को पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है।
१७. निर्वाचन-कार्यक्रम - छात्रसंघ निर्वाचन व्याख्यिक होगें तथा यथासम्भव सत्रारम्भ की तिथि से ६ से ८ सप्ताह के मध्य सम्पन्न कराये जायेंगे।
- १७.१ निर्वाचन प्रक्रिया, नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि से चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि तक अधिकतम १० दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी। जिसमें चुनाव प्रचार की अवधि भी सम्मिलित है।
- १७.२ निर्वाचन का चरणबद्ध कार्यक्रम

प्रथम चरण	- नामांकन
द्वितीय चरण	- नामांकन पत्रों एवं संलग्न अभिलेखों की जांच
तृतीय चरण	<ul style="list-style-type: none"> - (क) नामांकन वापसी - (ख) उम्मीदवारों की अन्तिम सूची का प्रकाशन
अन्तिम चरण	<ul style="list-style-type: none"> - (क) मतदान (ख) मतगणना एवं परिणामों की घोषणा (ग) शपथ प्रहण
- १७.३ निर्वाचनाधिकारी निर्वाचन के प्रत्येक प्रक्रम का दिनांक और समय नियत करते हुए निर्वाचन-कार्यक्रम-अधिसूचना निर्गत करेगा। अर्थात् अध्यर्थियों के नाम, निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु अध्यर्थियों की अन्तिम तिथि, मतदान और मतगणना के स्थान, समय और दिनांक की घोषणा करेगा।
- १७.४ निर्वाचन के लिए अध्यर्थियों का नामांकन-पत्र एक प्रस्तावक, दो अनुमोदक तथा अध्यर्थी के स्थीरता-सूचक हस्ताक्षर से युक्त नामांकन-पत्र प्रहण करना एवं उस पत्र की वैधता-अवैधता घोषित करना और परावर्तन-काल के व्यतीत हो जाने पर अन्तिम रूप से निश्चित अध्यर्थियों के नामों की घोषणा करना।
- १७.५ निर्वाचनाधिकारी उन नाम-निर्देशन-पत्रों को जिसमें अपेक्षित जानकारी नहीं दी गयी होगी, या अध्यर्थी को अन्यथा अपात्र पाया जायेगा, अस्वीकार कर देगा।
- १७.६ नामांकन वापसी के पश्चात् यदि विधिमान्य नामांकन-पत्रों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों के बराबर है, तो इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति निश्चित घोषित कर दिया जायेगा।
- १७.७ जिस अध्यर्थी का नामांकन-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, वह अपनी अभ्यर्थिता निर्वाचनाधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनांक तक वापस ले सकेगा।
- १७.८ नामांकन वापसी के पश्चात् योग प्रत्याशियों का पदवार मतपत्र तैयार किया जायेगा।
- १७.९ मतदान के लिए नियत समय के टीक पूर्ववर्ती ३६ घण्टों के मध्य निर्वाचन संचाचना/प्रचार (कन्वेंसिंग) नहीं की जा सकेगी।
१८. प्रतापिकार -
 सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के छात्रसंघ-चुनाव में मतदान का अधिकार इस संविधान की धारा ११ की शर्तों की पूर्ति करने वाले निम्नलिखित छात्रों को होगी -
- १८.१ राष्ट्रीय, आचार्य, शिक्षारासी, शिक्षानार्थ, प्रन्यालयविज्ञानशास्त्री और संस्कृतप्रमाणपत्रीय कक्षाओं के छात्र -
- १८.२ नियमित शोध छात्र के रूप में पञ्जीकृत हो।
- १८.३ विधित: निर्गत छात्र-परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रों को मतदान के लिए मतदान अधिकारी द्वारा मतपत्र देय होगा।
१९. मतदान-प्रक्रिया -
- १९.१ मतदाता को मतपत्र एवं मुहर तभी दिया जायेगा जब उसका नाम विभाग/सङ्गठन के निर्वाचक-सूची में होगा। विधित पूरित एवं प्रमाणित पहचान-पत्र प्रस्तुत कर देगा।
- १९.२ मतदाता उस व्यक्ति के नाम के सामने, जिसे वह अपना मत देना चाहता है, उसके सम्मुख निर्दिष्ट खाने में उपलब्ध करायी गयी मुहर लगाकर अपना मत देगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निशान लगा मतपत्र अवैध माना जायेगा।

- १९.३ मतपत्र भरने के बाद मतदाता उसे निर्देशानुसार मोड़ेगा और मतदान-कक्ष में रखी मत-पेटिका में डालेगा। यदि एक से अधिक निर्वाचन एक साथ किये जा रहे हैं, तो प्रत्येक मतपत्र सम्बन्धित निर्वाचन की मतपेटी में डाला जायेगा।
- १९.४ मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने पर प्रत्येक वृथ से वृथ-प्रभारी अधिकर्ताओं के समक्ष मतपेटिकाओं को सौंल करकर मतगणना के लिए निर्वाचनाधिकारी को सौंप कर उनसे रसीद प्राप्त करेगा।
- १९.५ मतदान के पश्चात् निर्धारित समय से मतपत्रों की जाँच एवं मतगणना का कार्य प्रारम्भ होगा। मतगणना समाप्ति के पश्चात् निर्वाचित प्रत्याशियों की घोषणा निर्वाचनाधिकारी द्वारा की जायेगी।
- १९.६ मतगणना के पश्चात् एक माह की अवधि तक समस्त मतपत्र निर्वाचनाधिकारी के अधिकार में सुरक्षित रहेगा।

२०. शपथ ग्रहण -

निर्वाचनाधिकारी द्वारा चुनाव-परिणाम घोषित करने के पश्चात् संरक्षक द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराया जायेगा।

२१. सत्रारम्भ अधिवेशन -

शपथ ग्रहण करने के पश्चात् छात्रसंघ की सामान्य-सभा का प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा।

२२. संघ की सामान्य-सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकें -

२२.१ संघ की सामान्य-सभा एवं कार्यकारिणी समिति को दो बैठकों के बीच ६० दिनों (दो माह) से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए।

२२.२ संघ की सामान्य-सभा की प्रथम बैठक छात्रसंघ निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से १५ दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए।

२३. असाधारण बैठकों की अध्येक्षा -

२३.१ संघ के दोनों घटकों के एक-तिहाई सदस्य किसी असाधारण बैठक की अध्येक्षा कर सकते हैं।

२३.२ अध्येक्षित बैठक के लिए कम-से-कम ७२ घण्टे पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

२३.३ अध्येक्षित बैठक की गणपूर्ति ४० प्रतिशत से होगी।

२४. कार्य-संचालन के लिए नियम एवं प्रक्रिया -

२४.१ संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी समिति के कार्यसंचालन हेतु नियम और प्रक्रिया इस संविधान की धारा २२ से २४ तक के नियमों में यथावर्ती होंगी।

२४.२ यदि किसी घटक के कार्य-संचालन और प्रक्रिया-सम्बन्धी विषय ऐसे नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं, तो इस नियम सभापति का निर्णय अनिवार्य होगा।

२५. उप-समितियाँ

संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी समिति को यथा आवश्यक उप-समितियाँ गठित करने एवं उनके विचारार्थ विषय आविष्ट करने का अधिकार होगा। यथा-

२५.१ शाखार्थ समिति।

२५.२ स्वर्गसेवक समिति।

२५.३ नाट्य समिति।

२५.४ संसद संगठन समिति इत्यादि।

२६. अविद्यास-प्रस्ताव-

संघ की सामान्य-सभा में कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में छात्रसंघ पदाधिकारियों के विरुद्ध अविद्यास-प्रस्ताव (यदि कोई हो) लाया जा सकता है।

(क) संघ की सामान्य-सभा अपनी संयुक्त बैठक में अविद्यास-प्रस्ताव पर उसके लाये जाने की तिथि के पश्चात्, किन्तु अधिकतम १५ दिनों के अन्दर अवश्य विचार करेगी।

(ख) अविद्यास-प्रस्ताव पारित करने के लिए सामान्य-सभा का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

२७. आकस्मिक रिक्तियाँ -

पदाधिकारियों की आकस्मिक रिक्तियाँ निम्नलिखित रूप से भरी जायेंगी -

२७.१ निर्वाचन के दो माह के भीतर किसी पदाधिकारी का पद किन्हीं आकस्मिक कारणवश रिक्त होने पर सम्बन्धित रिक्त पद को भरने के लिए पुनः निर्वाचन कराया जायेगा, अन्यथा

२७.२ अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अथवा कर्तव्य-निर्वहन के लिए उनके असमर्थ हो जाने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

२७.३ महामन्त्री का पद रिक्त होने पर अथवा कर्तव्य-निर्वहन के लिए उनके असमर्थ हो जाने पर पुस्तकालय मन्त्री महामन्त्री के रूप में कार्य करेगा।

२७.४ उपाध्यक्ष तथा पुस्तकालय मन्त्री का पद रिक्त होने पर संघ की सामान्य-सभा की बैठक में सामान्य-सभा के सदस्यों में से सभा के बहुमत से निर्वाचित सदस्य के द्वारा भरा जायेगा।

२८. कठिनाइयों का निराकरण -

२८.१ यदि संविधान के कार्यकरण में कोई कठिनाई या उसके निर्वहन में कोई सन्देह उत्पन्न होता है, तो उस पर संरक्षक का विनिश्चय अनिवार्य होगा।

- २८.२ विश्वविद्यालय-छात्रसंघ का गठन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति और उसमें उपबन्धित क्रिया-कलापों के कार्यान्वयन होता है। इसका संविधान और क्रिया-कलाप विश्वविद्यालय के पूर्णतः आन्तरिक विषय है तथा इससे सम्बन्धित सभी विवाद यथा उचित विवाद संरक्षक को सन्दर्भित किये जायेगे। जिसका विविध अन्तिम होगा।
२९. संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी समिति की प्रक्रिया और कार्य-संचालन -
- २९.१ संघ की सामान्य-सभा और कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक को संघ की संयुक्त बैठक कहा जायेगा, जिसका सभापतित्व उपसंरक्षक या कुलपति द्वारा नामित कोई अध्यापक करेगा।
- २९.२ बैठक, पूर्व प्रस्तावित बिन्दुओं एवं कार्यक्रम की सूची के अनुसार ही चलेगी। इसमें परिवर्तन का अधिकार सभापति को होगा।
- २९.३ प्रत्येक प्रस्ताव उसी व्यक्ति द्वारा लाया जायेगा, जिसके नाम का उल्लेख है। प्रस्ताव का समर्थन भी आवश्यक होगा।
- २९.४ चर्चा में भाग लेने हेतु सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर सभापति को सम्मोहित करेगा, परन्तु यह तब जबकि कोई सदस्य पहले से न बोल रहा हो।
- २९.५ सभा-संचालन में यदि व्यवस्था का प्रश्न उठता है और सभापति अपने आसन पर खड़ा हो जाता है, तो वक्ता को तत्काल अपने आसन पर बैठ जाना आवश्यक होगा।
- २९.६ प्रस्ताव मतदान के लिए रख दिये जाने या किसी विषय पर चर्चा असंगीकृत कर दिये जाने पर किसी सदस्य को किसी विषय पर बोलने को अनुमति नहीं दी जायेगी।
- २९.७ कोई भी सदस्य किसी समय व्याप्तिस्थित सभापति द्वारा विनियम के लिए व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है, किन्तु उस समय के बावजूद अपने प्रश्न का ही उल्लेख करेगा, जब तक कि सभापति उससे उपसक्त स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहते हैं। व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति अपना निर्णय देने के पूर्व यदि आवश्यक समझता है तो अन्य सदस्यों को भी अपना विचार प्रकट करने की अनुमति दे सकता है।
- २९.८ व्याप्तिस्थित सभापति व्यवस्था हेतु उठने वाले सभी प्रश्न विनियित करेगा और उसका विनियम अन्तिम होगा। यदि वह उचित समझता है, तो व्यवस्था के किसी प्रश्न पर अपना विनियम २४ घण्टे तक स्थगित कर सकता है।
- २९.९ किसी प्रस्ताव या बहस के समय कोई सदस्य कोई जानकारी या स्पष्टीकरण पर आपति कर सकता है, परन्तु यह तब, जब कोई अन्य मतदान सदन में पहले से न बोल रहा हो। ऐसा करते समय वह केवल उन तथ्यों का कथन करेगा, जिनसे किसी अन्य सदस्यों द्वारा कथन की त्रुटियाँ ढीक होती हैं।
- २९.१० कोई भी सदस्य चर्चा के समय किसी भी क्रम में समापन का प्रस्ताव रख सकता है, परन्तु यह तब, जब मतदान में कोई अन्य सदस्य पहले से ही न बोल रहा हो। यदि समापन-प्रस्ताव सम्पूर्णतः समर्थित है और सभापति यह समझता है कि ऐसा प्रस्ताव नियमों के दुरुपयोग या उचित बाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो सभापति समापन-प्रस्ताव पर तुरन्त मतदान करायेगा, और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो कोई और संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव के उत्तर को छोड़कर अनुशासित नहीं किया जायेगा। केवल चर्चाधीन प्रश्न पर मतदान कारबाही जायेगा।
- २९.११ प्रस्ताव सम्बन्धी सभी संशोधनों पर मतदान हो जाने के पश्चात् वे नियमित समझ लिये जायेंगे।
- २९.१२ प्रस्ताव या संशोधन पर मतदान कराये जाने से पूर्व प्रस्तावक सभापति की अनुमति से उसे बापस भी ले सकता है।
- २९.१३ किसी सदस्य द्वारा माँग किये जाने पर सभापति मतदान प्रक्रिया को गुल मतदान द्वारा करायेगा।
- नोट-छात्रसंघ संविधान के सन्दर्भ में किसी भी संशय की स्थिति में लिंगदोह समिति के संसुलियों का अपेक्षी संस्करण ही मान्य होगा।

सेवा में

निवाचनाधिकारी,
छात्रसंघ निवाचन सत्र
सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

शपथपत्र-प्रारूप

मेरे पुत्र/पुत्री	निवासी
जन्मतिथि सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कक्षा	खण्ड विभाग
संकाय का छात्र/की छात्रा हूँ।	

मैं छात्रसंघ के का/की प्रत्याशी हूँ। मैं पूर्ण रूपरूप आनंदिक रिष्टिमें शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. किसी राजनीतिक दल का घोषित प्रत्याशी नहीं हूँ, न ही किसी राजनीतिक दल से चुनाव खर्च के लिए कोई सहायता प्राप्त की है। वर्तमान सत्र में प्रधिकृत तथा महादान के लिए अधिकृत विश्वविद्यालयीय छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी वाह्य व्यक्ति से चुनाव प्रचार में सहयोग नहीं प्राप्त करूँगा।
 2. छात्रसंघ संविधान में निर्धारित व्यय सीमा रु० 5000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) से अधिक व्यय नहीं करूँगा/करूँगी।
 3. चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर व्यय विवरण प्रस्तुत कर करूँगा/करूँगी।
 4. मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं ढला है तथा वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित नहीं है, न ही मुझे किसी आपराधिक कृत्य के लिए दण्डित किया गया है।
 5. वर्तमान सत्र में मेरा कोई शैक्षिक बकाया (बैंक परीक्षा) नहीं है, अथवा मुझे अनुचित साधन प्रयोग में दण्डित नहीं किया गया है।
 6. मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।
 7. मैं इस विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के किसी पद का पूर्व में प्रत्याशी नहीं रहा/रही हूँ।
 8. मैं छात्रसंघ संविधान तथा लिंगदोह समिति की संस्तुतियों में निहित निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध हूँ।
- यदि उपर्युक्त कथन असत्य पाया जाता है अथवा मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो मेरा निर्वाचन निरस्त कर दिया जाय। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

(1) स्थायी पता

ग्राम/मोहल्ला
पोस्ट
थाना व तहसील
ज़िला व प्रदेश
मोबाइल नं०

(2) वर्तमान पता

ग्राम/मोहल्ला
पोस्ट
थाना व तहसील
ज़िला व प्रदेश
मोबाइल नं०

नोट: यह शपथ पत्र रूपये 10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी होगा।



सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

छात्रसंघ निर्वाचन (सत्र 2017-18)

अधिसूचना

क्रमांक	कार्यक्रम - विवरण	दिनांक	समय	स्थान
1	अनेकाम मतदाता सूची का प्रकाशन	17.12.2017	साय 04.00 बजे के बाद	परिषदा भवन
2	मतदाता सूची का आपत्ति एवं निस्तारण	19.12.2017	अपराह्न 01.00 बजे तक	परिषदा भवन
3	अनेकाम मतदाता सूची का प्रकाशन एवं नामोंकलन यथा विवरण	20.12.2017	अपराह्न 03.00 के बाद	परिषदा भवन
4	नामोंकलन	21.12.2017	प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 01.00 तक	परिषदा भवन
5	नामोंकलन पर एवं मतदाता अभिलेखों की जोख	21.12.2017	अपराह्न 02.00 बजे से	परिषदा भवन
6	वैष्ण इत्यागियों की सूची का प्रकाशन	25.12.2017	अपराह्न 02.00 बजे के बाद	परिषदा भवन
7	नामोंकलन यापसी	26.12.2017	पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक	परिषदा भवन
8	प्रत्याशियों की अनिम सूची का प्रकाशन	26.12.2017	अपराह्न 04.00 बजे के बाद	परिषदा भवन
9	मतदाता	30.12.2017	प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक	परिषदा भवन
10	मतापेक्षा, परिणामों की घोषणा एवं शपथ अहम	30.12.2017	अपराह्न 03.00 बजे से	परिषदा भवन

(प्रो. हरिशंकर पाण्डेय) ।५।।१।।
निर्वाचनाधिकारी

छात्रसंघ निर्वाचन (2017-18)

मे.ए.नि./09/2017 दिनाहु 14.12.2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित -

- संवित, कुलपति को कुलपति महोदय के अवतोक्तार्थ।
- आगुलिपिक, कुलसंचिव/वित्त अधिकारी।
- छात्रकल्पानालयाध्यक्ष।
- समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- विद्याधिकारी को इस आशय से प्रेषित की डक्ट कार्प्रक्लमानुसार निर्वाचन की अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावर पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- निदेशक प्रकाशन/अनुसंधान/पुस्तकाध्यक्ष।
- प्रीतिपालक/मुख्यप्रीतिपालक-समस्त छात्रवास।
- सहायक कुलसंचिव/डप्कुलसंचिव।
- अधिकारी/सम्पत्ति अधिकारी/प्रेस व्यवस्थापक/ठान अधीकारी/सुरक्षाधिकारी।
- जनसम्बर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
- समस्त सूचनां पट्ट।
- सम्पाद प्रावधानी।

(प्रो. हरिशंकर पाण्डेय) ।५।।२।।

निर्वाचनाधिकारी

छात्रसंघ निर्वाचन (2017-18)

सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

छात्रसंघ निर्वाचन (2018-19)

अधिसूचना

सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान की धारा 14.1.3 के अन्तर्गत छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में संविधान की धारा 13 के अन्तर्गत आचार खेड़ी लागू रहेगी। चुनाव का कार्यक्रम अधोलिखित है -

क्रमांक	कार्यक्रम - विवरण	दिनांक	समय	स्थान
1	अनिमय मतदाता सूची भर प्रकाशन	01.12.2018	अपराह्न 02.00 बजे के बाद	परीक्षा भवन
2	मतदाता सूची भर आपत्ति एवं निपतारण	02.12.2018	अपराह्न 03.00 बजे तक	परीक्षा भवन
3	अनिमय मतदाता सूची का प्रकाशन एवं नोटिफिकेशन द्वारा वितरण	03.12.2018	अपराह्न 01.00 के बाद	परीक्षा भवन
4	नामांकन	04.12.2018	मात्र 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 तक	परीक्षा भवन
5	नामांकन यद्य पर्य मतलग्न अभिलेखों की जांच	04.12.2018	अपराह्न 02.00 बजे से	परीक्षा भवन
6	वैध प्रत्याशियों की सूची द्वारा प्रकाशन	08.12.2018	अपराह्न 02.00 बजे के बाद	परीक्षा भवन
7	नामांकन नापर्सी	09.12.2018	पूर्वी 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक	परीक्षा भवन
8	शायाश्वियों द्वारा अनिमय सूची का प्रकाशन	09.12.2018	साथ 04.00 बजे के बाद	परीक्षा भवन
9	मतादान	12.12.2018	मात्र 09.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक	परीक्षा भवन
10	मतगणना, परिणाम की घोषणा एवं शपथ ग्रहण	12.12.2018	अपराह्न 02.00 बजे से	परीक्षा भवन

(प्रो. शीलेश कुमार मिश्र)

निर्वाचनाधिकारी

छात्रसंघ निर्वाचन (2018-19)

सं.छ.नि./[०] /2018 दिनांक 26.12.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित -

- सचिव, युत्तरपति को युत्तरपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- व्याशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- छात्रकल्याणसंकरयाच्यक।
- समस्त संकायाच्यक/विभागाच्यक।
- विनियोगिकारों को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचन की अवधि में विश्वविद्यालय परिसर में पर्याप्त पुस्तक बत्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- निदेशक प्रकाशन/अनुसंधान/पुस्तकाच्यक।
- संतिपालक/मुख्यमंत्रिपालक-समस्त छात्रावास।
- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव।
- अधिवक्ता/मन्त्री/अधिकारी/प्रेस व्यवस्थापक/ठठन अधीक्षक/मुख्याधिकारी।
- जनसंस्कर्क अधिकारी को सनाचार घोरों में प्रकाशनार्थ।
- दामस्त संग्रहीय प्रदृढ़।
- सम्बद्ध पात्राली।

२०१८ कुमार मिश्र

(प्रो. शीलेश कुमार मिश्र)

निर्वाचनाधिकारी

छात्रसंघ निर्वाचन (2018-19)



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो. सुधाकर मिश्र

निर्वाचनाधिकारी

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2020-21

मो. 9935409711

अधिसूचना

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2020-21

कार्यक्रम - विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम विवरण	दिनांक	समय	स्थान
1	मतदाता सूची का प्रकाशन	23.3.2021	अपराह्ण 3.00 बजे के बाद	बहुसंकाय भवन न्याय विभागीय कार्यालय
2	मतदाता सूची पर आपत्ति	25.3.2021	पूर्वाह्ण 11.00 बजे से अपराह्ण 2.00 बजे तक	बहुसंकाय भवन न्याय विभागीय कार्यालय
3	अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन	26.3.2021	अपराह्ण 3.00 बजे के बाद	बहुसंकाय भवन न्याय विभागीय कार्यालय
4	नामांकन पत्र वितरण	01.4.2021	पूर्वाह्ण 11.00 बजे से	मुख्य-भवन
5	नामांकन	03.4.2021	प्रातः 10.00 बजे से अपराह्ण 2.00 बजे तक	मुख्य-भवन
6	नामांकन पत्र एवं संलग्न अपिलेश्वरी की जाँच	03.4.2021	अपराह्ण 3.00 बजे से	मुख्य-भवन निर्वाचन कार्यालय
7	वैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन	06.4.2021	अपराह्ण 3.00 बजे के बाद	मुख्य-भवन निर्वाचन कार्यालय
8	नामांकन वापसी	07.4.2021	पूर्वाह्ण 11.00 से अपराह्ण 2.00 बजे तक	मुख्य-भवन निर्वाचन कार्यालय
9	प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	07.4.2021	सायं 4.00 बजे के बाद	मुख्य-भवन निर्वाचन कार्यालय
10	मतदान	11.4.2021	प्रातः 9.00 बजे से अपराह्ण 2.00 बजे तक	मुख्य भवन
11	मतगणना, परिणामों की घोषणा एवं शपथ ग्रहण	11.4.2021	अपराह्ण 3.00 बजे के बाद	मुख्य भवन

दिनांक- २३/३/२०२१

सुधाकर मिश्र
 निर्वाचनाधिकारी २५३१८।
 छात्रसंघ निर्वाचन
 सत्र 2020-21



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2020-21

महामन्त्री पद पर अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	अजय दूषे	आत्मा प्रसाद दूषे
2.	अनुराग शर्मा	महेश शर्मा
3.	अवनीश पाण्डेय	राकेश पाण्डेय
4.	कृष्ण मोहन शुक्ल	जनार्दन शुक्ल
5.	गौरीशंकर गंगेले	दयाशंकर
6.	चन्द्रमौलि तिवारी	अमरनाथ तिवारी
7.	दीपांशु पाठक	महेन्द्र पाठक
8.	रितेश कुमार पाण्डेय	प्रेम प्रकाश पाण्डेय
9.	वाचस्पति त्रिपाठी	सच्चिदानन्द त्रिपाठी
10.	विदेकानन्द पाण्डेय	रामभरत पाण्डेय
11.	शिव नारायण तिवारी	केदारनाथ तिवारी
12.	शिवम द्वीषे	सन्तोष द्वीषे
13.	सत्याजीत तिवारी	मुकेश तिवारी

महामन्त्री पद पर अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
1.	अखिलेश दूषे	शीतल प्रसाद दूषे	अभ्यर्थी होने की आयु सीमा अधिक
2.	अतुल पाण्डेय	रामचन्द्र पाण्डेय	छात्रसंघ निर्वाचन नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं
3.	अभिनय द्विवेदी	राजकरण द्विवेदी	अभ्यर्थी का छात्रसंघ निर्वाचन नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं
4.	अश्वनी कुमार द्विवेदी	कमलेश द्विवेदी	प्रवेश नामांकन पत्र नहीं, परिदय पत्र पर छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं
5.	प्रत्यूष त्रिपाठी	राम मणि त्रिपाठी	शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं
6.	हिमांशुराज मिश्र	राजेश कुमार मिश्र	एफ.आई.आर. दर्ज है

सम्पूर्णनन्द
 (प्रो० मुधाकर मिश्र)
 निर्वाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्वाचन (2020-21)
 दिनांक 6.4.2021


सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी


छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2020-21

अध्यक्ष पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	अजय दूबे	आत्मा प्रसाद दूबे
2.	अनुराग शर्मा	महेश शर्मा
3.	अवनीश पाण्डेय	राकेश पाण्डेय
4.	कृष्ण मोहन शुक्ल	जगन्नार्दन शुक्ल
5.	गौरीशंकर गंगेले	दयाशंकर
6.	चन्द्रमौलि तिवारी	अमरनाथ तिवारी
7.	स्त्रितेश कुमार पाण्डेय	प्रेम प्रकाश पाण्डेय
8.	वाचस्पति त्रिपाठी	सचिवदानन्द त्रिपाठी
9.	विकल्प शुक्ल	विजय कुमार शुक्ल
10.	विवेकानन्द पाण्डेय	रामभरत पाण्डेय
11.	शिव नारायण तिवारी	केदारनाथ तिवारी
12.	शिवम चौधे	सन्तोष चौधे

अध्यक्ष पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
1.	अखिलेश दूबे	शीतल प्रसाद दूबे	अन्यथा होने की आयु सीमा अधिक
2.	अभिनय द्विवेदी	राजकरण द्विवेदी	अन्यथा एवं प्रस्तावक का छात्रसंघ निर्वाचन नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं
3.	अश्वनी कुमार द्विवेदी	कमलेश द्विवेदी	प्रवेश नामांकन पत्र की धायाप्रति नहीं
4.	प्रत्यूष त्रिपाठी	राम मणि त्रिपाठी	शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं
5.	हिमांशुराज मिश्र	राजेश कुमार मिश्र	एफ.आई.आर. दर्ज है


 (प्रोफ. सुधाकर मिश्र)
 निर्वाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्वाचन (2020-21)
 दिनांक 6.4.2021



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2020-21

उपाध्यक्ष पद हेतु वैध प्रत्याशियों की सूची

क्र.सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	अजीत कुमार चौधे	सुरेन्द्र कुमार चौधे
2.	अनुराग शर्मा	महेश शर्मा
3.	अद्यनीश पाण्डेय	राकेश पाण्डेय
4.	आशुतोष कुमार मिश्र	शिवनन्दन मिश्र
5.	कृष्ण मोहन शुक्ल	जनार्दन शुक्ल
6.	चन्द्रमीलि तिवारी	अमरनाथ तिवारी
7.	दीपांशु पाठक	महेन्द्र पाठक
8.	निशान्त कुमार सैनी	कृष्णकान्त
9.	रितेश कुमार पाण्डेय	प्रेम प्रकाश पाण्डेय
10.	वाचस्पति त्रिपाठी	सच्चिदानन्द त्रिपाठी
11.	विवेकानन्द पाण्डेय	रामभरत पाण्डेय
12.	शिव नारायण तिवारी	केदारनाथ तिवारी
13.	शिवम चौधे	सन्तोष चौधे
14.	शिवम् शुक्ल	मनोज शुक्ल

उपाध्यक्ष पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
1.	अखिलेश दूधे	शीतल प्रसाद दूधे	अस्यर्थी होने की आगु सीमा अधिक
2.	अतुल पाण्डेय	रामचन्द्र पाण्डेय	छात्रसंघ निर्वाचन नामांकन पत्र पर अस्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं
3.	अमित कुमार दूधे	रमेश दूधे	छात्रसंघ निर्वाचन नामांकन पत्र पर अस्यर्थी का हस्ताक्षर नहीं
4.	प्रत्यूष त्रिपाठी	राम मणि त्रिपाठी	शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं
5.	हिमांशुराज मिश्र	राजेश कुमार मिश्र	एफ.आई.आर. दर्ज है


 (प्रौद्योगिकी
 निर्वाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्वाचन (2020-21)
 तिनांक 6.4.2021)




सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
छात्रसंघ निर्बाचन सत्र 2020-21

**वेद वेदाङ्ग सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु वैध
प्रत्याशियों की सूची**

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	कुश तिवारी	छोटन तिवारी
2.	पंकज द्विवेदी	सत्यदेव द्विवेदी
3.	राघवेन्द्र मिश्रा	जगदम्बा मिश्रा
4.	शानू कुमार	सुनील कुमार मिश्र
5.	श्रीश कुमार	कौशल किशोर मिश्र
6.	सत्याजीत तिवारी	मुकेश तिवारी

वेद वेदाङ्ग सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
			कोई अवैध नहीं


 (प्रोफ. सुधाकर मिश्र)
 निवाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्बाचन (2020-21)
 दिनांक 6.4.2021


सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
छात्रसंघ निर्बाचन सत्र 2020-21

पुस्तकालय मन्त्री पद हेतु वैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	अजय कुमार विश्वकर्मा	रमेश कुमार विश्वकर्मा
2.	अर्जीत कुमार चौधे	सुरेन्द्र कुमार चौधे
3.	आशुतोष कुमार मिश्र	शिवनन्दन मिश्र
4.	दीपांशु पाठक	महेन्द्र पाठक
5.	निशान्त कुमार सैनी	कृष्णकान्त
6.	वाचस्पति त्रिपाठी	सचिवनन्द त्रिपाठी
7.	विवेकानन्द पाण्डेय	रामभरत पाण्डेय
8.	शिवम् शुक्ल	मनोज शुक्ल
9.	सत्याजीत तिवारी	मुकेश तिवारी

पुस्तकालय मन्त्री पद पर अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
1.	अखिलेश दूबे	शीतल प्रसाद दूबे	अभ्यर्थी होने की आयु सीमा अधिक
2.	अमित कुमार दूबे	रमेश दूबे	अभ्यर्थी का छात्रसंघ निर्बाचन नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं


 (प्रो० सुधाकर मिश्र)
 निर्बाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्बाचन (2020-21)
 दिनांक 6.4.2021



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
छात्रसंघ निर्बाचन सत्र 2020-21

श्रमण विद्या सङ्काय के सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु वैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	उज्जवल	प्रेम किशोर
2.	प्रियांशु कुमार पाण्डेय	विजय शंकर पाण्डेय

श्रमण विद्या सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
			कोई अवैध नहीं

सम्पूर्णानन्द
(प्रो० सुधाकर मिश्र)
निर्बाचनाधिकारी
छात्रसंघ निर्वाचन (2020-21)
दिनांक 6.4.2021


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
 छात्रसंघ निर्बाचन सत्र 2020-21

दर्शन सङ्काय के सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	शिव ओम शर्मा	सत्य प्रकाश शर्मा

दर्शन सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
कोई अवैध नहीं			

संस्कृतविद्यालय
 (प्रो० सुधाकर मिश्र)
 निर्बाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्बाचन (2020-21)
 दिनांक 6.4.2021


सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
छात्रसंघ निर्बाचन सत्र 2020-21

साहित्य संस्कृति सङ्काय के सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु वैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम
1.	अनुराग शर्मा	महेश शर्मा
2.	बृजेश कुमार दूबे	अरुण कुमार दूबे

साहित्य संस्कृति सङ्काय के सङ्काय प्रतिनिधि पद हेतु अवैध प्रत्याशियों की सूची

क्र. सं.	छात्र नाम	पिता नाम	अवैध का कारण
1.	अखिलेश दूबे	शीतल प्रसाद दूबे	अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिक
2.	शुभम् कुमार शुक्ला	जितेन्द्र कुमार शुक्ला	शपथ पत्र आपूर्ण


 (प्रो० सुधाकर मिश्र)
 निर्बाचनाधिकारी
 छात्रसंघ निर्बाचन (2020-21)
 दिनांक 6.4.2021

5. 3. 2

सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2020-21

विभिन्न पदों पर नामांकन करने वाले अध्यर्थियों का विवरण

आ. स.	छात्र नाम	पिता नाम (श्री)	पद	पद	पद	पद	संकाय प्रतिनिधि	संकाय प्रतिनिधि	संकाय प्रतिनिधि	संकाय प्रतिनिधि	चाग
1.	अखिलेश दूषे	शीतल प्रसाद दूषे	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	पुस्तकालयमंत्री	-	साहित्य संस्कृति	-	-	
2.	अजय कुमार विश्वकर्मा	रमेश कुमार विश्वकर्मा	-	-	-	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
3.	अजय दूषे	आत्मा प्रसाद दूषे	अध्यक्ष	-	महामंत्री	-	-	-	-	-	
4.	अपीत कुमार चौधे	सुरेन्द्र कुमार चौधे	-	उपाध्यक्ष	-	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
5.	अंतुल पाण्डेय	रामबद्ध पाण्डेय	-	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
6.	अनुराग शर्मा	महेश शर्मा	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	साहित्य संस्कृति	-	-	
7.	अमित कुमार दूषे	रमेश दूषे	-	उपाध्यक्ष	-	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
8.	अमिनय हिंदेंदी	राजकरण हिंदेंदी	अध्यक्ष	-	महामंत्री	-	-	-	-	-	
9.	अवनीश पाण्डेय	शाकेश पाण्डेय	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
10.	अश्वनी कुमार हिंदेंदी	कमलेश हिंदेंदी	अध्यक्ष	-	महामंत्री	-	-	-	-	-	
11.	आशुलाल कुमार मिश्र	शिवानन्द मिश्र	-	उपाध्यक्ष	-	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
12.	उज्जावल	प्रेम किशोर	-	-	-	-	-	-	अग्रण विद्या	-	
13.	कुश तिवारी	छाटन तिवारी	-	-	-	-	चेद चेदांग	-	-	-	
14.	कृष्ण माहन शुभल	जगन्नाथ शुभल	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
15.	गोरीशकर गोरेस	दयाशकर	अध्यक्ष	-	महामंत्री	-	-	-	-	-	
16.	चन्द्रमीलि तिवारी	अवरनाथ तिवारी	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
17.	दीपांकु पाठक	महेन्द्र पाठक	-	उपाध्यक्ष	महामंत्री	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
18.	निशाना कुमार सेनी	कृष्णकान्त	-	उपाध्यक्ष	-	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
19.	पक्षण हिंदेंदी	सारदेव हिंदेंदी	-	-	-	-	चेद चेदांग	-	-	-	
20.	प्रियाशु कुमार पाण्डेय	विजय शंकर पाण्डेय	-	-	-	-	-	-	अग्रण विद्या	-	
21.	प्रत्यूष त्रिपाठी	राम मणि त्रिपाठी	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
22.	दृष्टोरा कुमार दूषे	अरुण कुमार दूषे	-	-	-	-	-	साहित्य संस्कृति	-	-	
23.	राधवेन्द्र मिश्रा	जगदन्धा मिश्रा	-	-	-	-	चेद चेदांग	-	-	-	

कृ०५०५०

24.	सिलेज समार भागीदार	प्रम प्रकाश पाटेहारा	आध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-					
25.	वायरलीन नियमार्थी	वायरलीनलक नियमार्थी	आध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
26.	विकास शुक्ल	विजय शुक्ल शुक्ल	आध्यक्ष	-	-	-	-	-	-	-	
27.	विवेकानन्द चाराज़क	शाप्तरत प्राह्लेय	आध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	पुस्तकालयमंत्री	-	-	-	-	
28.	ज्ञानु कुमार	ज्ञानुल कुमार नियम	-	-	-	-		देव देवांग	-	-	
29.	वीरा कुमार	वीरा उपाध्यक्ष नियम	-	-	-	-		देव देवांग	-	-	दर्शन
30.	रित्व अम रामी	राम रामाना रामी	-	-	-	-		-	-	-	
31.	रित्व नानाधन नियमार्थी	कुदारनाथ नियमार्थी	आध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
32.	रित्वम रोषे	रमनाथ रोषे	आध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
33.	रित्वम शुक्ल	मनोज शुक्ल	-	उपाध्यक्ष	-	पुस्तकालयमंत्री	-	-	साहित्य समृद्धि	-	
34.	शुक्ल शुक्ल शुक्ला	विलान्द शुक्ल शुक्ला	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	लाल्याजीत नियमार्थी	शुक्ल नियमार्थी	-	-	महामंत्री	पुस्तकालयमंत्री	देव देवांग	-	-	-	
36.	विमानुराज नियम	वाजेश कुमार नियम	आध्यक्ष	उपाध्यक्ष	महामंत्री	-	-	-	-	-	
चोम			17	19	19	11		06	04	02	01
											79

संस्कृत विद्यालय
(प्रा० शुचाकर मंडळ)
निवार्जनाधिकारी
छावनी विवरण (2020-21)
दिनांक 3.4.2021



5.3.275
आजादी का
अमृत महोत्सव

सम्पूर्णनन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, वाराणसी

दीक्षान्तमहोत्सवस्याधिसूचना

सम्पूर्णनन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकोनचत्वारिंशतमो दीक्षान्तमहोत्सवः

03.01.2022 दिनाङ्के विश्वविद्यालयस्य मुख्यभवने सम्पत्यते।

अस्मिन्नवसरे 2021 वर्षीयविद्यावारिच्छाचार्यशास्त्रिशिक्षाशास्त्रायुर्वेदाचार्यप्रन्थालयविज्ञान-पत्रकारिताएवंजनसञ्चारविज्ञानस्नातकोत्तरपरीक्षासमुत्तीर्णेभ्यः स्नातकेभ्य उपाधयः प्रदास्यन्ते।

साबद्धः स्नातका एतद्वारा सूच्यन्ते यद् 26.12.2021 दिनाङ्के वावद् अधस्तनं स्वीकृतिपत्रं प्रपूर्य कुलसचिवस्य कार्यालये प्रेषयन्तु। 27.12.2021 एवं 28.12.2021 दिनाङ्कयोः 10 वादने स्वयमुपस्थाय अधोनिर्दिष्टानि प्राह्णणिं प्रपूरितानि प्रदर्श्य पञ्चाशदधिकशतद्वय- (250) रूप्यकाणि च प्रदाय परिधानवस्त्राण्युपाधीश्च लभेरन्।

सूचना- अन्न संलग्नं पत्रयं वर्तते। तत्र प्रथमं प्रमाणपत्रं, दीक्षान्तमहोत्सवे प्रवेशाय यद् विद्यालयीयस्नातकेभ्यः प्रधानाचार्यः, स्वतन्त्रस्नातकेभ्यस्तु शास्त्रिपरीक्षान्तं स्वीकृतस्य महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यः, अथवा शिक्षाविभागस्य निरीक्षकः, अथवा हाइस्कूलकक्षान्तं स्वीकृतस्य विद्यालयस्य प्रधानाध्यापको यद् उत्तीर्णपरीक्षाया आवेदनपत्रं प्रेषितम् आसीत्, दास्यति। द्वितीयं पत्रं छात्रः 27.12.2021 दिनाङ्कात् पूर्वं कुलसचिवकार्यालये पूरयित्वा प्रापयिष्यति। तृतीयं पत्रं विद्यालयीयस्नातकेभ्यः प्रधानाचार्यः, स्वतन्त्रच्छावेभ्यश्च निर्धारितोऽधिकारी दास्यति।

विशेषः- स्नातकैः द्वितीयं स्वीकृतिपत्रं तृतीयश्च कुलसचिवस्य कार्यालये 27.12.2021 दिनाङ्कात् पूर्वं प्रेषणीयम्, प्रथमश्च सहैवानेयम्। तत् प्रदर्श्य उत्सवप्रवेशपत्रं स्नातकीयपरिधानश्च ग्रहीतव्यम्।

१३/१०.१२.२१

कुलसचिवः

सम्पूर्णनन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य, वाराणसी

प्रभा. नृ०

५.३.२

द्वात्रक लगाण संकाया है क्षमा जी,

पृष्ठ ८० भाग पर प्र० विद्यु छिवेदी द्वारा नीक में सम्बन्ध
 में जोगी गपी सुनना जिसमें दात्रों के समस्या के सम्बन्ध में
 जिहू समितियों में द्वात्र प्रतिनिधियों के सहभागिता के सम्बन्ध
 में आदेश की प्राप्ति जोगी गपी है इस सम्बन्ध में अवगत
 करना है कि उपेक्षा-समिति, द्वात्राणस समिति, द्विष्ट समिति
 में दात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। द्वात्र संघ नियन्त्रित के
 समय त्रिकापत्र निवारण प्रक्रोक्त का गठन किया जाता है
 जिसमें दात्रों के प्रतिनिधि समिलित किये जाते हैं। उत्तरीष्टही
 लेलान है। साथ दी सह भी अवगत करना है कि पुरातन
 द्वात्र संघ गठित करने सामिलत प्रब्राह्मनिक एवं आदेश
 नहीं हैं जो ही इस तरह का कोई आदेश निर्गत है

सुननाएँ।

द्वात्राणस
3

Dr. B. R. Ambedkar
 संसद संकाया अधिकारी
 सम्पूर्ण गण संरक्षण विधायिकालय
 नवाचारणी

6/8/1950

५३२



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - एस.एस.वि.वि./कु.स. 5573 /2018

दिनांक 11 दिसम्बर, 2018

सत्र 2018-19

आदेश

कुलपति महोदय के आदेशानुसार छात्रसंघ संविधान की धारा-15 के अनुसार छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। उक्त प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार है -

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रो. हेतराम कछवाह, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष | - सदस्य |
| 2. कुलसचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | - सदस्य |
| 3. श्री संदीप कुमार, आचार्य द्वितीय (नव्यव्याकरण)
इन्हें श्री शिवराम मिश्र, पाण्डेयपुर सराय भागमार्ग
अमेठी-227409 | - सदस्य |
| 4. सुश्री अद्वपूर्णा कुमारी, आचार्य द्वितीय (साहित्य)
खलवानाव, विहार-841441 | - सदस्य |

उक्त प्रकोष्ठ से अपेक्षा की जाती है कि छात्रसंघ निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच यथार्थीप्र पूर्ण करने का कष्ट करें।

/

(राजबहादुर)

कुलसचिव

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
3. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के उपर्युक्त समस्त सदस्यगण।
4. जनसम्पर्क अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

राजबहादुर
कुलसचिव

5.3.2



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक-एस०एस०वि०वि०/कु०स० ७/८ /2021

दिनांक १० अप्रैल, 2021


सत्र 2020-21

आदेश

कुलपति महोदय के आदेशानुसार छात्रसंघ संविधान की धारा-15 के अनुसार छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। उक्त प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार है -

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. प्रो० शशिरानी, संकायाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 2. कुलसचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | - | सदस्य |
| 3. श्री अमित तिवारी पुत्र पं० विजेन्द्रनाथ तिवारी
आचार्य तृतीय सेमेस्टर(नव्य व्याकरण) | - | सदस्य |
| 4. सुश्री विभा यादव पुत्री श्री हीरालाल यादव
आचार्य तृतीय सेमेस्टर(साहित्य) | - | सदस्य |

उक्त प्रकोष्ठ से अपेक्षा की जाती है कि छात्रसंघ निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच यथाशीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें।


 कुलसचिव
 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
 वाराणसी

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
3. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के उपर्युक्त समस्त सदस्यगण।
4. जनसम्पर्क अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

 कुलसचिव
 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
 वाराणसी

४७

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सत्र 2017-18

आदेश

कुलपति महोदय के आदेशानुसार छात्रसंघ संविधान की धारा - 15 के अनुसार छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। उक्त प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार है -

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. प्रो० हेतराम कछवाह | - वरिष्ठ संकायाध्यक्ष | - सदस्य |
| 2. कुलसचिव | - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | - सदस्य |
| 3. श्री लेखनाथ पौण्ड्र्याल | - आचार्य द्वितीय, व्याकरण विभाग | - सदस्य |
| 4. ♀ शशिकला पटेल | - आचार्य द्वितीय, साहित्य विभाग | - सदस्य |

उक्त प्रकोष्ठ से अपेक्षा की जाती है कि छात्रसंघ निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जाँच यथाशीघ्र पूर्ण करने का काष्ट करें।

१३.१२
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी।

कु०स०स० - १९७४/२०१७ दिनांक - २३.१२.२०१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कुलपति के सचिव एवं कुलपति जी को अवलोकनार्थ।
2. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
3. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के उपर्युक्त समस्त सदस्यगण।
4. जनसम्पर्क अधिकारी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

४८१७.
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी।

द्वारा दिए गए नियमों की

पुराणे द्वारा दिए गए नियमों की

युवानों की अवधि की लेते ही युवानों

द्वारा दिए गए नियमों की लेते ही युवानों

द्वारा दिए गए नियमों की लेते ही युवानों

Vidhu
06/08/2023

विश्वविद्यालय से पठित एवं अन्यत्र कार्यरत छात्रों के संगठन (एलयूमनायी) से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय से प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्तर्गत आवश्यक पंजीकरण हेतु सम्बन्धित कार्यालय (चीट फण्ड सोसाइटी) में पत्र दिनांक 23.12.2023 के द्वारा पत्रावली प्रस्तुत है। उक्त पत्र दिनांक के अनुसार प्रो. सुधार मिश्र जी से लगभग पाँच सौ छात्रों की सूची प्राप्त है। कुछ स्वयं जुड़ रहे हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्रो. दिनेश गर्ग जी के अध्यक्षता में कमेटी प्रयत्नशील हैं। पंजीकरण के पश्चात् सहयोग राशि प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

SANS VISHWAVIDYALAYA, JAGATGANJ

T.GANJ
P.O.DISTT - VARANASI
UTTAR PRADESH
221002

Phone No : Phone No : 2205043

IFSC Code : IDIB000V510

PERSONAL DETAILS:

CIF No:11010499889

Name : PURATAN CHHATRA SAMITI

PAN No : AAAJS3379Q

Mobile No : 8299394972

Mode of Op : SELF

D.O.B. (if minor) : N/A

Email ID :

Date of A/C Opening : 31/01/2024

Nom.Reg No :

Inform any Change in Your Address or Phone Number to the branch for updation.

Date of Issue : 01/02/2024

75220

00065

इंडियन बैंक



Indian Bank

इलाहाबाद

Allahabad

Branch : VARANASI S.SANS VISHWAVIDYALAY (6065)

MICR Code : 221019026

PPO Number:

Account No : 7707452252

Email Id : v510@indianbank.co.in

S/D/W of :

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVIDYALAYA
JAGATGANJ

VARANASI VAR

Varanasi

221002

Inform any Change in Your Address or Phone Number to the branch for updation.



NEW

जयतु संस्कृतम् ॥

।। श्रीः ।।

जयतु भारतम् ॥



5.4.1

सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पुरातन छात्र सम्मेलन

09 जुलाई, 2023, रविवार

प्रतिष्ठा में,

~~डॉ. त्रिपुरारी पाठकजी
जाद्धर्वासं. म.वि. गाजीपुर~~

(३०७०)

प्रेषक :-

प्रदीप कुमार पाण्डेय (साजू)

पूर्व महामंत्री भात्रसंघ

सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

मो० : 9026592992



यतु संस्कृतम् !!

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

जयतु भारत !!



सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पुरातन छात्र सम्मेलन

09 जुलाई, 2023, रविवार

विषय :-

नेतृत्व कौशल की नर्सरी (छात्रसंघ)

मान्यवर,

हर्षोल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि पूर्व छात्रसंघ के नेतृत्व में विश्वविद्यालयीय 'पुरातन छात्र सम्मेलन' का आयोजन 'पाणिनि भवन सभागार' में दिनाङ्क 07 जुलाई 2023 शुक्रवार को पूर्वाह 11:00 बजे से किया जा रहा है।

समारोह में आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

-: संयोजक मण्डल :-

गिरजा नन्द चौबे (पूर्व अध्यक्ष)	जनक नन्दनी शरण 'बाबा' (पूर्व उपाध्यक्ष)
रमाकान्त पाण्डेय (पूर्व अध्यक्ष)	मंगल यादव (पूर्व उपाध्यक्ष)
अभिषेक द्विवेदी 'गणेश' (पूर्व अध्यक्ष)	रनजीत तिवारी (पूर्व उपाध्यक्ष)
प्रान्जल पाण्डेय (पूर्व अध्यक्ष)	

रेवतीरमण त्रिपाठी (पूर्व महामंत्री)	साकेत शुक्ल (वरिं छात्र नेता)
मृगेन्द्र तिवारी (पूर्व महामंत्री)	गणेश गिरी (वरिं छात्र नेता)
नरेन्द्र मिश्र (पूर्व महामंत्री)	रामदयाल पाण्डेय (वरिं छात्र नेता)
देव नारायण पाण्डेय (पूर्व महामंत्री)	राहुल उपाध्याय (वरिं छात्र नेता)
	धीरज शुक्ल (छात्र नेता)

स्वागतकर्ता

कृष्ण मोहन शुक्ल (अध्यक्ष), शिवम् चौबे (महामंत्री)

आशुतोष कुमार मिश्र (पुस्तकालय मंत्री)

अजय मिश्र व्यास, जगदम्बा प्रसाद मिश्र (बल्ली)

सुधीर कुमार पाण्डेय (नागा बाबा)

निवेदक -

समस्त छात्र-छात्रायें

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र वर्तमान में सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती जी उपस्थित रहे।



दि 09.07.2023 छात्र संघ का समावेश में विश्वविद्यालय के पुरातन
छात्र वर्तमान में विविध विश्वविद्यालय में कार्यरत वारिष्ठ आचार्यों का समूह





पुरातन छात्र सम्मेलन 09 जुलाई 2023 "सम्पूर्णानन्द संस्कृत
विश्वविद्यालयवाराणसी" #SSVV RAVIDIXITSSVV - YouTube

आचार्य बालकृष्ण जी इस विश्वविद्यालय के पूर्व
छात्र एवं वत्मान मे पतंजली ब्रांड के मालिक।



प्रो० नागेन्द्र कुमार पाण्डेय जी इस विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र
एवं अध्यापक वर्तमान में काशी विश्वनाथ न्यास परिषद् के
अध्यक्ष।



**कुलपति जी के कर कमलो द्वारा पुरातन छात्र संघ
को सम्मान 25.10.2019**





पुरातन छात्र एवं पूर्व कुलपति प्रो हरे राम त्रिपाठी
वर्तमान मे कविकुल गुरु कालिदास सस्कृत
विश्वविद्यालय का कुलपति



पुरातन छात्र वर्तमान में आयुष खाद्याय सुरक्षा एवं
औषधी प्रशासन राज्य मन्त्री उमप्र० आदरणीय दया
शंकर मिश्र के द्वारा योग साधना केन्द्र का मरम्मत
कराया गया ।



पुरातन छात्र वर्तमान में वाराणसी दक्षिणी विधान
सभा के विधायक आदरणीय नील कंठ तिवारी जी
द्वारा विश्वविद्यालय को सहयोग प्राप्त हुआ



पुरातन छात्र वर्तमान में विहंगम योग के सस्थापक
स्वर वेद मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी श्री विज्ञान देव जी
महाराज के द्वारा ग्रन्थो एवं पठन पाठन संबंधि सामाग्री
प्रदान की गई



पुरातन छात्र वर्तमान में काशी विश्वनाथ न्यास
परिषद् के सदस्य प्रो० बृज भूषण ओङ्ग बी.एच.यू.

